

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड  
(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय:  
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स  
7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003  
दूरभाष 011-24363613, फैक्स-01-43091515

टेंडर संख्या: आरईसी/एस्टेट/गुडगांव(डब्ल्यूएचक्यू)/2011/1

गुडगांव (हरियाणा) में स्थित आरईसी वर्ल्ड मुख्यालय के  
निर्माण और विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी (पीएमसी)सेवाएं देने

के लिए

बोलियों का आमंत्रण (सीमित)

(केवल ई-टेंडरिंग मोड से)

कंपनी, जिसको टेंडर दस्तावेज जारी किए गए मैसर्स -----

पता -----

-----

## विभिन्न ई-टेंडर से संबंधित कार्यों की समय तालिका :

सीमित बोलियां आमंत्रित करने की तारीख :	14.02.2011
बोली-पूर्व बैठक तथा ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया संबंधी संक्षिप्त विवरण देना	23.02.2011, 14.30 बजे
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और समय	14.03.2011, 11.00 बजे
पात्रता और तकनीकी बोली खोलने की तारीख और समय	14.03.2011, 11.30 बजे
अग्रिम धन जमा	500,000(केवल पांच लाख रुपए)

बोली प्रस्तुत करने और खोलने की प्रक्रिया ई-टेंडरिंग के माध्यम से की जाएगी। टेंडर दस्तावेज वेबसाइट [www.tenderwizard.com/REC](http://www.tenderwizard.com/REC) या आरईसी की वेबसाइट यथा <http://www.recindia.gov.in> में दिए गए ई-टेंडर लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है।

**टिप्पणी** - ई-बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बोलीदाताओं के लिए अनिवार्य है कि उनके पास प्रयोक्त आईडी और पासपोर्ट हो। इस प्रयोजन के लिए बोलीदाता को उपर्युक्त टेंडर विजार्ड वेबसाइट के माध्यम से आरईसी के पास अपने आपको पंजीकृत करवाना होगा। कृपया यह भी नोट करें कि टेंडर में आवेदन देने के लिए बोलीदाता को टेंडर विजार्ड से डिजिटल हस्ताक्षर टोकन प्राप्त करना होगा। इस संबंध में व्यापारी टेंडर विजार्ड से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में अपनाए जाने वाले चरण नीचे दिए जा रहे हैं :-

1. वेबसाइट <http://www.tenderwizard.com/REC> में जाएं
2. 'रजिस्टर मी' लिंक को क्लिक करें
3. फार्मेट के अनुसार बोलीदाता के बारे में विवरण दर्ज करें
4. 'प्रो-फाइल बनाएं' क्लिक करें
5. बोलीदाता को लॉगइन-आईडी और पासवर्ड .....के साथ ही पंजीकरण की पुष्टि मिल जाएगी

टेंडरविजार्ड से डिजिटल हस्ताक्षर के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण (स्टेप) नीचे दिए जा रहे हैं -

1. वेबसाइट <http://www.tenderwizard.com/REC> से आवेदन-पत्र फार्म डाउनलोड करें। दिए गए अनुदेशों का पालन करें।
2. यदि किसी सहायता की जरूरत हो तो कृपया पृष्ठ-5 में उल्लिखित व्यक्ति से संपर्क करें।

**टिप्पणी** - बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे डिजिटल हस्ताक्षर (लेबल-3) प्राप्त करें और अग्रिम रूप से अपने आप को [www.tenderwizard.com/REC](http://www.tenderwizard.com/REC) में रजिस्टर करें। कृपया नोट करें कि यदि डिजिटल हस्ताक्षर न होने या पंजीकरण न होने के कारण बोलीदाता आवेदन पत्र नहीं दे सका तो इसके लिए आरईसीएल को किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

## गुडगांव (हरियाणा) में स्थित आरईसी के वर्ल्ड मुख्यालय के निर्माण और विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के चयन के लिए बोली दस्तावेज

### 1.1 सामान्य

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) की स्थापना 1969 में की गई थी और इसका उद्देश्य देश में ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों का वित्तपोषण करना था। यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व का सरकारी क्षेत्रक उपक्रम है और इसका नेटवर्थ 12,286 करोड़ रुपए है। वर्तमान में आरईसी विद्युत मंत्रालय की अनुसूची 'क' सरकारी क्षेत्रक उपक्रम है और भारत सरकार द्वारा इसे 'नवरत्न' का दर्जा दिया गया है।

इसका मुख्य उद्देश्य पूरे देश में ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं का वित्तपोषण करना और उन्हें बढ़ावा देना है। यह उपक्रम राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकार के विभागों और ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों को उनके द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देता है।

आरईसी राज्य बिजली बोर्डों/राज्य विद्युत यूटिलिटीयों और प्राइवेट क्षेत्रक कंपनियों को भी ऋण सहायता प्रदान करता है ताकि वे विद्युत परियोजनाओं के विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण में निवेश कर सकें। इस प्रकार की सहायता वह नई दिल्ली में स्थित कारपोरेट कार्यालय और अधिकांश राज्यों में स्थित 19 फील्ड इकाइयों (17 परियोजना कार्यालय और 2 उप-कार्यालय) के माध्यम से प्रदान करता है।

### 1.2 उद्देश्य

आरईसी वर्तमान में कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में स्थित अपने कार्यालय से कार्य करता है। अपनी भावी आकांक्षाओं और बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए आरईसी एक अति आधुनिक कॉरपोरेट कार्यालय भवन चाहता है जिसका नाम आरईसी वर्ल्ड मुख्यालय होगा। इस आशय से आरईसी ने वर्ल्ड आर्किटेक्ट डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित की थी और गुडगांव में आरईसी वर्ल्ड मुख्यालय भवन के निर्माण और विकास के लिए वास्तुविद का चयन किया है। भवन की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया गया है। आरईसी अपने कॉरपोरेट मुख्यालय के लिए डिजाइन में निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करवाना चाहता है

- एक ऐसा विशिष्ट पहचानवाला भवन तैयार करना जिससे आरईसी के मूल्य, नीति और प्रमुख संदेश प्रतिबिंबित हों।
- ऐसी टिकाऊ, ऊर्जा दक्ष, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के अनुकूल भवन प्रणाली तैयार करना जो निर्मित और अनिर्मित दोनों को समन्वित करे।
- अति आधुनिक प्रौद्योगिकी से ऐसा भवन तैयार करना जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुकूल हो।
- ऐसे गृह का निर्माण करना जो पांच सितारा रेटिंग के अनुरूप हो।

इस प्रयोजन के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) ने आई-4, सिटी सेंटर, सेक्टर-29 गुडगांव में आरईसी को 16,890.25 वर्ग मीटर (लगभग 4.2 एकड़) माप का भूखंड आबंटित किया है जिसका एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) भी उतना ही होगा।

- 1.3 प्रस्तावित आरईसी वर्ल्ड मुख्यालय में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशकों के सचिवालय के लिए अपेक्षित कार्यालय स्थान होंगे और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशकों के आगंतुकों के लिए, बोर्ड रूम, बोर्ड रूम में वेटिंग लॉज, सम्मेलन कक्ष, सम्मेलन भोजन कक्ष, कार्यपालकों का भोजन कक्ष, पुस्तकालय, ऑडिटोरियम, बैठक कक्ष और रसोई का कमरा होगा। प्रत्येक फ्लोर में दो स्तर की बेसमेंट पार्किंग होगी और इसमें अन्य संगत और अद्यतन मुख्य-मुख्य भाग होंगे। हम पूरे एफएआर का उपयोग निर्माण के लिए करना चाहते हैं।

## 2.0 परिभाषाएं

जब तक प्रसंग और सततता में अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक निम्नलिखित शब्दों का वही अर्थ होगा जो नीचे दिया जा रहा है

- 2.1 'वास्तुविद' से तात्पर्य है वास्तुविद वाली ऐसी फर्म जिसे आरईसी द्वारा नियुक्त किया जाएगा। वास्तुविद की सेवा का व्यापक क्षेत्र सभी कार्यों के लिए संकल्पना तैयार करना, प्रारंभिक कार्य करना, विस्तृत डिजाइन तैयार करना और निर्माण संबंधी आरेख बनाना होगा जिसमें आंतरिक और बाह्य डिजाइन आदि भी शामिल हैं जो सभी सांविधिक प्राधिकरणों से अनुमोदित परियोजना और आरेख हैं और मात्रा तथा विनिर्देश प्रपत्र के अनुसार हैं। पीएमसी आरईसी की ओर से वास्तुविद के कार्यों में समन्वय करेगा और उन पर नजर रखेगा।
- 2.2 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' से तात्पर्य है परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता का प्रतिनिधि जिसे आरईसी द्वारा आरईसी के लिए और आरईसी की ओर से कार्य करने के लिए विधिवत शक्तियां दी गई हों या प्राधिकृत किया गया हो।
- 2.3 पूरा करने ('समापन') से तात्पर्य है परियोजना के किसी भी चरण के कार्य का पूरा होना और इस प्रकार पूरा होना कि जिस प्रयोजन के लिए उसे बनाया गया है, वह उस प्रयोजन के अनुकूल हो। इसमें छोटी-मोटी कमियां शामिल नहीं होंगी।
- 2.4 'ठेकेदार/ठेकेदारों' से तात्पर्य है परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता द्वारा नियुक्त परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी/एजेंसियां। ठेकेदार निर्माण कार्य के संबंध में सीधे पीएमसी को रिपोर्ट करेगा।
- 2.5 'परियोजना' से तात्पर्य है आरईसी वर्ल्ड मुख्यालय जिसे आई-4, सिटी सेंटर, सेक्टर 29, गुडगांव में निर्मित और विकसित किया जाना है और जिसमें आंतरिक कार्य आदि भी शामिल हैं।
- 2.6 'पीएमसी' से तात्पर्य है परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता जिसे आरईसी द्वारा काम पर लगाया गया है। पीएमसी आरईसी की ओर से जमा कार्य के आधार पर यह कार्य निष्पादित करेगा।
- 2.7 'आरईसी' से तात्पर्य है रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-11000 में स्थित है और

जिसका प्रतिनिधित्व कार्यपालक निदेशक (संपदा) या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) द्वारा किया जाएगा।

- 2.8 'आरईसी वर्ल्ड मुख्यालय' से तात्पर्य है रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन के प्रयोग के लिए आई-4, सिटी सेंटर, सेंक्टर 29, गुडगांव में निर्मित और विकसित किया जाने वाला कार्यालय भवन और अन्य सुविधाएं।
- 2.9 'सेवाएं' से तात्पर्य है परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता सेवाएं जो पीएमसी द्वारा दी जाएंगी।
- 2.10 'समान परियोजना' से तात्पर्य है बहुमंजिला, केंद्रीकृत, वातानुकूलित कॉरपोरेट/वाणिज्यिक/कार्यालय/होटल/अस्पताल भवन परियोजना का कार्य, जिसे **मार्च, 2010 को समाप्त पिछले चार वर्षों के** दौरान पीएमसी के आधार पर अर्हक मापदंडों के अनुसार निष्पादित किया गया हो।
- 2.11 'कार्य संविदा' से तात्पर्य है पीएमसी और ठेकेदार/ठेकेदारों के बीच निष्पादित की जाने वाली ऐसी संविदा जिसमें सभी सिविल कार्य, विद्युत कार्य, एचवी एसी, लिफ्ट, अग्निशमन, विद्युत और यांत्रिक संस्थापन, साज-सज्जा, बागबानी, लैंडस्केपिंग आदि शामिल हैं।

### 3.0 आमंत्रण

आरईसी जमा कार्य के आधार पर अपने वर्ल्ड मुख्यालय के निर्माण के कार्य-निष्पादन और मानीटरिंग के उद्देश्य से परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता की सेवाएं लेना चाहता है। इस प्रयोजन के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) ऐसे तीन अलग-अलग लिफाफों में मुहरबंद प्रस्ताव आमंत्रित करता है, जिन पर 'अग्रिम धन जमा', 'तकनीकी बोली' और 'वित्तीय बोली' लिखा हो और जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी के दिनांक 20 अगस्त, 2010 के पत्र के उत्तर में आरईसी विश्व मुख्यालय भवन, गुडगांव के निर्माण और विकास के संबंध में परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवा देने में रुचि दर्शाते हुए भेजे गए हों।

### 4.0 पात्रता का मापदंड

- 4.1.1 आवेदक ने पीएमसी के रूप में कार्य किया हो। यह कार्य एक अत्याधुनिक बहुमंजिली, केंद्रीकृत, एयरकंडीशंड, कॉरपोरेट/वाणिज्यिक/कार्यालय/होटल/अस्पताल भवन का रहा हो और इसकी लागत मार्च, 2010 को समाप्त पिछले चार वर्षों के दौरान 80 करोड़ रुपए या उससे अधिक रही हो।

अथवा

आवेदक ने पीएमसी के रूप में कार्य किया हो। यह कार्य दो अत्याधुनिक बहुमंजिली, केंद्रीकृत, एयरकंडीशंड, कॉरपोरेट/वाणिज्यिक/कार्यालय/होटल/अस्पताल भवन का रहा हो और इनकी लागत मार्च, 2010 को समाप्त पिछले चार वर्षों के दौरान प्रत्येक 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक रही हो।

- 4.1.2 पिछले चार वर्षों के दौरान पीएमसी के रूप में बोलीदाता का कुल औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार कम से कम 5 करोड़ रुपए रहा हो।

अनुभव का दावा करते समय बोलीदाता को कार्य सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

## 5.0 बोली की शर्तें

- 5.1 गृह पांच सितारा के अनुसार आरईसी वर्ल्ड मुख्यालय की अनुमानित परियोजना लागत लगभग 100 करोड़ रुपए है जिसमें भूखंड की लागत शामिल नहीं है लेकिन सभी सिविल, स्वच्छता संबंधी, विद्युत, यांत्रिक संस्थापन, एचवीएसी, आंतरिक सज्जा, फर्नीचर, लैंडस्केपिंग आदि की लागत शामिल है।
- 5.2 आरईसी विश्व मुख्यालय के निर्माण और विकास के लिए किए जाने वाले निर्माण और विकास कार्य का विवरण अनुबंध 1 में दिया गया है। ये परिलक्षित अपेक्षाएं हैं और इनमें चुने गए वास्तुविद की सलाह से परिवर्तन किया जा सकता है।
- 5.3 बोलीदाता पीएमसी के रूप में अपनी सेवाएं 42 माह की अवधि तक प्रदान करेंगे जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है और यह अवधि करार की तारीख से कार्य पूरा होने तक लागू रहेगी जिसमें दोष दूर करने संबंधी अवधि या ठेकेदार के सभी खातों का समाधान, सभी सीटीई/लेखापरीक्षा आपत्तियां और सभी माध्यस्थम के मामले, जो भी देर तक होंगे, शामिल रहेंगे
- |       |                                      |          |
|-------|--------------------------------------|----------|
| (i)   | निर्माण-पूर्व क्रियाकलापों का समय-   | 6 माह    |
| (ii)  | निर्माण संबंधी क्रियाकलापों हेतु समय | - 24 माह |
| (iii) | दोष दायित्वों की अवधि                | - 12 माह |
- 5.4 बोली के साथ 'रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड' के पक्ष में जारी नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट/अदायगी आदेश के रूप में **500,000/- रुपए (केवल पांच लाख रुपए)** की अग्रिम जमा राशि लगाएं। इसके विकल्प के रूप में अग्रिम धन इस दस्तावेज के अनुबंध-2 में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार निर्धारित रकम की बैंक गारंटी के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि बोली के साथ निर्धारित अग्रिम धन न लगाया गया हो या बोली के साथ संलग्न अग्रिम धन उचित रूप में न हो तो उपर्युक्त बोली को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। असफल बोलीदाताओं द्वारा जमा किया गया अग्रिम धन कार्य अवार्ड करने के बाद लौटा दिया जाएगा। लेकिन सफल बोलीदाता का अग्रिम जमा राशि कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के बाद लौटाया जाएगा। अग्रिम जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 5.5 'तकनीकी बोलियां' नई दिल्ली में स्थित आरईसी के कार्यालय में ऐसे बोलीदाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के सामने खोली जाएंगी जो इस अवसर पर उपस्थित रहना चाहें।
- 5.6 प्राप्त और खोली गई तकनीकी बोलियों का आरईसी की मूल्यांकन समिति द्वारा इस दस्तावेज के खंड 4.0 में उल्लिखित पात्रता के मापदंडों के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।
- 5.7 यदि आवश्यक हो तो बोलियों को आरईसी की मूल्यांकन समिति के समक्ष उस तारीख, समय और स्थान पर प्रस्तुत किया जाएगा जिसके संबंध में बोलीदाताओं को अलग-अलग पृथक रूप से सूचित कर दिया जाएगा।
- 5.8 आरईसी नियत स्थान और समय पर तकनीकी रूप से अर्हक सभी बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों को खोलेंगे। 'वित्तीय बोली' खोलने की तारीख, समय और स्थान की सूचना डाक से या फैक्स से ऐसे बोलीदाताओं को अलग से दी जाएगी।

- 5.9 कृपया नोट करें कि बोली तैयार करने की लागत और संविदा की बातचीत की लागत जिसमें निर्माण स्थल के दौरे (दौरों) से स्थान/आरईसी के दौरे शामिल हैं, उनकी प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।
- 5.10 आरईसी को अधिकार होगा कि वह प्राप्त किसी या सभी बोलियों को रद्द कर सकता है और बिना कोई कारण बताए कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। आरईसी को यह भी अधिकार है कि वह किसी भी अवस्था में बिना कोई कारण बताए बोली प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।
- 5.11 जिस प्रस्ताव में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया गया हो या जिसमें बोलीदाता ने कोई शर्त लगाई हो, जिसमें सशर्त रिबेट भी शामिल है, उसे तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।
- 5.12 बोली के संदर्भ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पक्ष प्रचार करना सख्त मना है और ऐसे बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली, जो किसी भी रूप में पक्ष प्रचार का सहारा लेता है, रद्द कर दी जाएगी।
- 5.13 यह प्रस्ताव 'बोली' खोलने की तारीख से 180 दिन की अवधि तक स्वीकार करने के लिए खुला रहेगा। यदि कोई बोलीदाता बोली खोलने की तारीख से या बोलीदाताओं द्वारा स्वीकृत बढ़ाई गई अवधि से 180 दिन की अवधि से पहले अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या बोली की शर्तों में कोई ऐसा आशोधन करता है जो आरईसी को स्वीकार्य न हो, तो आरईसी के पास किसी अन्य उपाय का सहारा लेने के अलावा अग्रिम धन को जब्त करने का अधिकार होगा।
- 5.14 बोली प्रस्तुत करने से पहले बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर उस संगठन के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों। बोली दस्तावेज संविदा करार का भाग होगा। बोली स्वीकार करने वाले प्राधिकारी द्वारा उसकी बोली स्वीकार किए जाने पर सफल बोलीदाता को आशय/अवार्ड पत्र जारी करने पर 15 दिन के अंदर संविदा करार पर हस्ताक्षर करने होंगे।
- 5.15 कार्य सौंपे जाने पर और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर पहली सूचना प्राप्त करने के लिए बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे निर्माण स्थल का दौरा करें। बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थानीय परिस्थितियों के बारे में सूचना प्राप्त कर लें और अपनी बोली तैयार करते समय उनका ध्यान रखें।
- 5.16 ऊपर बताए गए अनुसार, परियोजना प्रबंधन परामर्शी कार्य के लिए आरईसी द्वारा चुना गया बोलीदाता, इसकी सहायक कंपनी या किसी ऐसे फर्म/संगठन को जिसमें चुने गए बोलीदाता के शेयरों की प्रतिशतता हो या उसकी सहायक कंपनी को ऐसे कार्य के निष्पादन में भाग लेने से वंचित रखा जाएगा जिसके लिए आरईसी द्वारा बोलीदाता को परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवा का कार्य सौंपा गया हो।
- 5.17 बोलीदाता अपेक्षित फॉर्मेट में बोली सहित सभी अपेक्षित विवरण देगा जिसमें विवरण मांगे गए हों। सफल बोलीदाता अनुबंध-8 में विनिर्दिष्ट कार्य पर लगाए जाने के लिए मुख्य तकनीकी कार्मिकों की न्यूनतम संख्या, योग्यता और अनुभव भी सुनिश्चित करेगा।
- 5.18 संलग्न फार्म में मांगी गई सभी सूचना इन फार्मों के संबंधित कॉलम के सामने दी जाएगी। यदि किसी कारणवश अलग पन्ने पर सूचना दी जाती है तो संबंधित कॉलम के सामने

इस तथ्य का उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि किसी कॉलम में कोई सूचना नहीं भी दी जाती है तो उस कॉलम में 'शून्य' या 'कोई ऐसा मामला नहीं' प्रविष्ट की जाना चाहिए। यदि बोलीदाताओं के मामले में कोई प्रश्न विशेष लागू नहीं होता है, तो उसके सामने 'लागू नहीं' लिखा जाना चाहिए। बोलीदाताओं को सचेत किया जाता है कि आवेदन-पत्र फार्म में मांगी गई पूरी सूचना न देने या इसे स्पष्ट रूप से न देने या निर्धारित फार्म में परिवर्तन करने या जानबूझकर कोई सूचना छिपाने से बोलीदाता को तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

- 5.19 सभी प्रमाणपत्रों/संलग्नकों पर संगठन के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- 5.20 बोलीदाता ऐसी कोई अतिरिक्त सूचना दे सकते हैं जिसके संबंध में वे यह सोचते हों कि प्रस्तावित कार्य को सफलतापूर्वक करने की उनकी क्षमता स्थापित करने के लिए वह आवश्यक है। लेकिन बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अनावश्यक सूचना न दें। बोली दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद तब तक किसी सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक उसे आरईसी द्वारा नहीं मांगा जाता है।
- 5.21 बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कोई सूचना यदि तत्काल या बाद में गलत पाई जाती है तो इससे बोली को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।
- 5.22 यह सुनिश्चित करें कि इस बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ, सभी फार्मों, प्रमाणपत्रों और संलग्नकों पर संगठन की मुहर/स्टांप सहित संगठन के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- 5.23 **कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी** जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाती है वह संविदा करार पर हस्ताक्षर करने के 15 दिन के अंदर बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा। यह बैंक गारंटी यहां संलग्न अनुबंध 3 में दिए गए फार्मेट के अनुसार भारत के राष्ट्रीयकृत बैंक या किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी की गई हो। यह बैंक गारंटी परामर्शी सेवा के शुल्क के 10औं (दस प्रतिशत) के बराबर रकम की होगी जो संविदा के उचित और निष्ठापूर्वक कार्य करने की गारंटी होगी और अन्य शर्तों को स्वीकार करने की गारंटी होगी। कार्य-निष्पादन गारंटी 'निर्माण कार्य' के दोष दूर करने की अवधि समाप्त होने या ठेकेदार के सभी खातों के निपटान होने, सभी सीटीई/लेखापरीक्षा आपत्तियों और सभी माध्यस्थम के मामलों, जो भी बाद में हों, के निपटान होने के बाद 90 दिन तक विधिमान्य रहेगी, जिसमें इस दस्तावेज के विभिन्न खंडों का अनुपालन किया जाएगा। परंतु हमेशा यह भी कि आरईसी अग्रिम धन में से पीएमसी के किसी भी दावे को रखने, उसका निपटान करने, उसे घटाने या उसे समायोजित करने का हकदार होगा या ऐसी किसी राशि की देयता का हकदार होगा, जो आरईसी द्वारा देय हो। यह बैंक गारंटी आरईसी द्वारा 'बेबाकी प्रमाण-पत्र' जारी करने के बाद बिना ब्याज के पीएमसी को लौटा दी जाएगी।

## 6.0 बोली प्रस्तुत करना:

6.1 बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित फार्मेट में बोली प्रस्तुत करें:-

6.1.1 **अग्रिम धन** एक अलग मुहरबंद लिफाफे में रखा जाएगा जिसके ऊपर 'गुडगांव स्थित आरईसी वर्ल्ड मुख्यालय के निर्माण और विकास के लिए पीएमसी के चयन हेतु अग्रिम धन' लिखा जाएगा।

- 6.1.2 तकनीकी बोली वेबसाइट [www.tenderwizard.com/REC](http://www.tenderwizard.com/REC) पर केवल ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएंगी।
- 6.1.3 वाणिज्यिक बोली वेबसाइट [www.tenderwizard.com/REC](http://www.tenderwizard.com/REC) पर केवल ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएंगी।
- 6.2 अग्रिम धन के लिफाफे पर नियत तारीख का भी उल्लेख किया जाएगा और यह उप महाप्रबंधक (संपदा), रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को संबोधित किया जाएगा। इसे बोली में विनिर्दिष्ट तारीख और समय को या उससे पहले आरईसी के भूतल पर स्थित मुख्य स्वागत कक्ष में रखे गए इस कार्य के नाम वाले टेंडर बॉक्स में डाला जाएगा।
- 6.3 अग्रिम धन और तकनीकी बोलियों के लिफाफे को पात्रता वाली बोली खोलने की तारीख और समय को एक साथ खोला जाएगा।
- 6.4 सभी प्रकार से पूर्ण तकनीकी और वाणिज्यिक बोलियां वेबसाइट [www.tenderwizard.com/REC](http://www.tenderwizard.com/REC) पर ऑन-लाइन प्रस्तुत की जाएंगी।
- 6.5 यदि अपेक्षानुसार नियत तारीख और समय के अंदर बोलियां प्रस्तुत नहीं की जाती तो आरईसी लिमिटेड इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा।
- 6.6 यदि अग्रिम धन का लिफाफा नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त होता है या यदि वह उपर्युक्त स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान पर प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे बिना कोई कारण बताए रद्द कर दिया जाएगा। बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धन का लिफाफा देर से प्राप्त होने के लिए आरईसी जिम्मेदार नहीं होगा। बोलीदाता बोली खोलने के समय अपना प्राधिकृत प्रतिनिधि भेज सकता है।
- 6.7 आरईसी को यह अधिकार होगा कि वह संशोधन जारी करके बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा को बढ़ा सकता है। ऐसे मामले में आरईसी के सभी अधिकार और दायित्व और बोलीदाता के अधिकार और दायित्व पिछली अंतिम तारीख के स्थान पर नई अंतिम तारीख के अनुसार होंगे।
- 6.8 बोली प्रस्तुत करने और बोली की विधिमान्य मूल अवधि की समाप्ति की अंतिम तारीख के बीच बोली वापस लेने या उसमें संशोधन करने से अग्रिम धन जमा को जब्त कर लिया जाएगा।
- 6.9 ऑफ-लाइन और ऑन-लाइन संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजः
- 6.9.1 500,000/- रुपए का अग्रिम धन ऑफ-लाइन तरीके से।

अग्रिम धन की अपेक्षित रकम का डिमांड ड्राफ्ट/अदायगी आदेश 'रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड' के पक्ष में जारी नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट/अदायगी आदेश के रूप में अग्रिम धन लगाया जाएगा। विकल्प के रूप में अग्रिम धन इस बोली दस्तावेज के अनुबंध 2 में दिए गए फार्मेट के अनुसार निर्धारित रकम की बैंक गारंटी के रूप में

प्रस्तुत किया जा सकता है। मुहरबंद लिफाफे के ऊपर निम्नलिखित सूचना का उल्लेख किया जाना चाहिए:

पक्षकार का नाम .....  
टेंडर संख्या .....  
अग्रिम धन की रकम .....जारीकर्ता बैंक.....  
तारीख .....

### 6.9.2 तकनीकी बोली (केवल ऑन-लाइन)

विधिवत भरे गए और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित दस्तावेजों (क से च तक) (बेहतर होगा पीडीएफ फॉर्मेट में) स्कैन की हुई इमेज ऑन-लाइन तकनीकी बोली के साथ अपलोड किए जाएं। (इन दस्तावेजों पर डिजिटल रूप में हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं है )।

- (क) प्रेषण पत्र अनुबंध 4 में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार
- (ख) वचनपत्र (अनुबंधक 5 में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार)
- (ग) शर्तों और सेवा के क्षेत्र आदि को स्वीकार करने के संकेत के रूप में पूरा बोली दस्तावेज (बोली दस्तावेज की पृष्ठ संख्या के अनुसार)
- (घ) 'पात्रता के मापदंड' के अनुसार अपेक्षित दस्तावेज जिनका उल्लेख अनुबंध 6 और 7 में किया गया है।
- (ङ.) गुड़गांव में स्थित आरईसी वर्ल्ड मुख्यालय भवन संबंधी कार्य के लिए कार्यस्थल पर तैनात किए जाने वाले मुख्य तकनीकी व्यक्तियों का विवरण (अनुबंध 8 में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार)।
- (च) संगठन के पास उपलब्ध व्यक्तियों का विवरण (अनुबंध 9 में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार)।

निम्नलिखित से संबंधित सूचना कॉरपोरेशन की ई-टेंडरिंग साइट अर्थात् [www.tenderwizard.com/REC](http://www.tenderwizard.com/REC) पर तकनीकी शीट में भरी जाएगी।

- (छ) बोली दस्तावेज के पात्रता मापदंड खंड संख्या 4.1.1 के अनुसार अपेक्षित पूरी की गई इसी प्रकार की परियोजनाओं का विवरण।
- (ज) बोली दस्तावेज के पात्रता मापदंड खंड संख्या 4.1.2 के अनुसार अपेक्षित पिछले चार वर्ष के दौरान पीएमसी के रूप में परामर्शी कारोबार।

### 6.9.3 वाणिज्यिक बोली (केवल ऑन-लाइन): वाणिज्यिक बोली कॉरपोरेशन की ई-टेंडरिंग साइट अर्थात् [www.tenderwizard.com/REC](http://www.tenderwizard.com/REC) पर लागत शीट में भरी जाएगी।

## 6.10 वाणिज्यिक बोली

आई-4, सिटी सेंटर, सेक्टर 29, गुडगांव में आरईसी वर्ल्ड मुख्यालय के निर्माण और विकास के लिए कार्य के क्षेत्र के अनुसार बिना वास्तुविद सेवाओं के परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा कर के अलावा, सभी करों को शामिल करते हुए परामर्शी प्रभार का बोलीदाता द्वारा कोट किया जाएगा। यह कोटेशन **कुल अवार्ड की गई परियोजना लागत की प्रतिशतता (जिसमें भूखंड की लागत और पीएमसी के प्रभार शामिल नहीं हैं)** का उल्लेख अंकों और शब्दों में किया जाएगा और इस पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। आरईसी वास्तुविद की नियुक्ति की प्रक्रिया में है जिसे वास्तुविद के साथ करार के शर्तों के अनुसार अदायगी की जाएगी। अतः पीएमसी की सेवाओं में वास्तुविद संबंधी सेवाएं शामिल नहीं होंगी।

वास्तविक खर्च के अनुसार परियोजना के संबंध में सांविधिक अनापत्ति प्राप्त करने से संबंधित सभी व्यय की अदायगी की प्रतिपूर्ति/अदायगी आरईसी द्वारा की जाएगी जिसमें संबंधित प्राधिकरण के पास गृह रेटिंग भवन के लिए पंजीकरण प्रभार (यदि कोई हों) शामिल होंगे।

**महत्वपूर्ण कृपया नोट करें कि परामर्शी प्रभार केवल कुल अवार्ड की गई संविदा परियोजना की लागत की उल्लिखित प्रतिशतता (सफल बोलीदाता द्वारा) तक सीमित होगी और लागत में बढ़ोतरी होने या लागत में वृद्धि होने के कारण कोई एजेंसी प्रभार अदा नहीं किए जाएंगे। लागू सेवा कर की अदायगी अतिरिक्त रूप में की जाएगी।**

## 7.0 मूल्यांकन का मापदंड:

पीएमसी का चयन तकनीकी रूप से अर्हक बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों के आधार पर किया जाएगा।

आरईसी उन बोलीदाताओं को अधिसूचित करेगा जिनकी बोलियां अर्हकता मापदंड को पूरा करती हों और उनकी वित्तीय बोलियों को चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बिना खोले लौटा दिया जाएगा। आरईसी परामर्शदाताओं को यह भी अधिसूचित करेगा कि उन्हें तकनीकी रूप से अर्हक पाया गया है और उन्हें वित्तीय बोली खोलने के लिए तय की गई समय और स्थान की भी सूचना देगा।

## 7.1 वित्तीय मूल्यांकन:

आरईसी नियम समय और स्थान पर ऐसे सभी बोलीदाताओं की 'वित्तीय बोलियों' को खोलेगा जो तकनीकी रूप से अर्हक पाए गए हों और न्यूनतम बोलीदाता को कार्य अवार्ड किया जाएगा।

## 8.0 सेवाओं का विवरण:

### 8.1 आरईसी का दायित्व:

आरईसी द्वारा उपलब्ध की जाने वाली सेवाओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित क्रियाकलाप भी शामिल होंगे

- कार्य-निष्पादन के प्रयोजन के लिए टेकेदार को बिना कोई झंझट वाला भूखंड सौंपना।

- वास्तुविद द्वारा स्थानीय/सांविधिक निकायों से रूपरेखा को अनुमोदित करने के लिए उपलब्ध दस्तावेज प्रदान करना। वह ऐसे अनुमोदन के लिए सभी अपेक्षित कागज-पत्रों पर हस्ताक्षर करेगा और प्राधिकरण द्वारा दिए गए बीजक के अनुसार सभी शुल्क अदा करेगा।
- संविदा की अपनी-अपनी शर्तों के अनुसार पीएमसी द्वारा नियुक्त वास्तुविद और ठेकेदारों के संबंध में पीएमसी को सभी आवश्यक अदायगियां करना।

आरईसी की ओर से इसका कार्यकारी निदेशक (संपदा) इस परियोजना का प्रभारी होगा। कार्यकारी निदेशक (संपदा) या आरईसी द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी आरईसी की ओर से कार्य करेगा और परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के कार्य-निष्पादन का मानीटर और मूल्य निरूपण करेगा और संविदा प्रबंधन संबंधी निर्णय लेगा। आरईसी को अधिकार होगा कि वह निर्माण कार्य का निरीक्षण कर सकता है अर्थात् निर्माण संबंधी पूर्व कार्य, निर्माण के चरण, निर्माण के बाद के चरण आदि जिनका पीएमसी द्वारा पर्यवेक्षण किया जा रहा हो और वह किसी भी समय इस कार्य स्थल से संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों/रिपोर्टों/काम पर लगाए गए लोगों आदि की जांच कर सकता है। लेकिन आरईसी द्वारा पर्यवेक्षण के लिए लगाए गए अपने स्टाफ के कारण पीएमसी इस दस्तावेज में परिभाषित किसी दायित्व से मुक्त नहीं होगी।

## 8.2 परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता की सेवाओं का कार्यक्षेत्र:

पीएमसी द्वारा प्रदान की जाने वाली अपेक्षित सेवाओं का विवरण यहां नीचे पैरा 8.6 में दिया गया है। जमा कार्य के आधार पर इस कार्य का कार्य-निष्पादन किया जाएगा। परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता निर्माण कार्य की संविदा की शर्तों के अनुसार इस परियोजना के लिए 'प्रभारी इंजीनियर' के रूप में कार्य करेगा।

प्रभारी इंजीनियर के रूप में परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता ठेकेदारों को कार्य अवार्ड करेगा ताकि वे आरईसी के अनुमोदन के बाद आरईसी की कार्य जरूरतों के आधार पर परियोजना का समय पर कार्य-निष्पादन कर सकें/उसे पूरा कर सकें। इसके अलावा, पीएमसी कार्य ठेकेदार को भी कार्य सौंपेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि संविदा के खंड, जो भी कार्य की गुणवत्ता और मात्रा से संबंधित हों, का पालन किया जा रहा है और इसके प्रावधानों के अनुसार कार्य का निष्पादन किया जा रहा है। पीएमसी आरेखों के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण करेगा और गुणवत्ता के उच्च मानकों को तय करेगा और परियोजना को समय पर पूरा करवाएगा, ठेकेदार के बिलों का सत्यापन करेगा, उन्हें प्रमाणित करेगा और वह कार्य की प्रगति को मानीटर भी करेगा। पीएमसी परियोजना की प्रगति के बारे में आरईसी द्वारा नामित अधिकारी को नियमित रूप से सूचना भी देगा। पीएमसी इंजीनियरी संबंधी सभी निर्णय लेगा जिसमें परियोजना के कार्यान्वयन के सफल और समय पर कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित ठेकेदारों के साथ आवश्यक पत्राचार करना भी शामिल है। पीएमसी हुडा के मापदंडों, सीपीडब्ल्यूडी के विनिर्देशों, बीआईएस के कोडों, सीवीसी के दिशानिर्देशों, पर्यावरण और अन्य विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित आदेशों का पालन सुनिश्चित करेगा और सीपीडब्ल्यूडी के निर्माण कार्य मैनुअल में यथापरिभाषित सभी औपचारिकताओं/दस्तावेजों/रोज के क्रियाकलापों का पालन सुनिश्चित करेगा ताकि निर्माण कार्य की संविदा का निष्पादन हो सके और समय-समय पर आरईसी द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का पालन किया जा सके। भवन ईसीबी, ऊर्जा दक्ष और गृह पांच सितारा के अनुसार होगा। पीएमसी कार्य-निष्पादन में गिनाए गए कार्यों के संबंध में प्रभारी इंजीनियर के रूप में कार्य करेगा और उसमें

निम्नलिखित कार्य शामिल नहीं होंगे जिनके संबंध में पीएमसी को आरईसी का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

- (क) ऐसे विभिन्न अनुमोदन/विचलन आदेश जारी करना/अनुमोदित करना जिनके वित्तीय प्रभाव हों। लेकिन परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता द्वारा उचित रूप से अनुमोदित आपातिक स्थितियों में ऐसा किया जा सकता है।
- (ख) कार्य की नई मदों या कार्य की विद्यमान मदों के संबंध में दरें अनुमोदित करना जिन से संविदा में निर्धारित सीमा से मात्रा का अंतर हो जाता हो।
- (ग) निर्माण संविदा में निर्धारित निर्माण कार्य को पूरा करने के समय में वृद्धि को अनुमोदित करना।

8.3 आरईसी अपने विवेक से निर्माण कार्य की जांच करने और उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता लेखापरीक्षा करने हेतु किसी स्वतंत्र एजेंसी की सेवाएं भाड़े पर ले सकता है जिसे पीएमसी अपनी ड्यूटियों का निर्वहन करने में उचित सहायता देगा।

8.4 निर्माण कार्य की प्राधिकृत सरकारी एजेंसी द्वारा तकनीकी/गुणवत्ता संबंधी लेखापरीक्षा की जा सकती है। इस संबंध में अपने ड्यूटियों का निर्वाह करने में पीएमसी उन्हें सहायता देगा।

8.5 इस परियोजना का प्रधान पर्याप्त रूप से वरिष्ठ और सक्षम व्यक्ति होगा जिसे संबंधित अनुभव हो और जिसकी सत्यनिष्ठा असंदिग्ध हो। पीएमसी इस परियोजना के प्रबंधन के लिए मोटा-मोटा संगठन चार्ट प्रस्तुत करेगा ताकि समुचित निर्णय तत्काल लिए जा सकें। लेकिन काम पर लगाए जाने वाले तकनीकी व्यक्तियों की वास्तविक संख्या और निर्धारित अनुसूची को पीएमसी द्वारा तैयार किया जाएगा और कार्य अवार्ड करने के बाद इस पर परस्पर सहमति बनाई जाएगी। यह अनुसूची इस प्रकार तैयार की जाएगी कि उनके कार्य के क्षेत्र के अनुसार पीएमसी द्वारा निष्पादित किए जाने वाले सभी कार्य नीचे पैरा 8.6 में दिए गए अनुसार पूरी तरह से और दक्षता से निष्पादित किए जाएं। कार्य सौंपने संबंधी अनुसूची की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और आरईसी तथा पीएमसी द्वारा कार्य स्थल की अपेक्षाओं का संयुक्त मूल्यांकन करने के आधार पर आवश्यक पाई गई अनुसूची में आवश्यक संशोधन/समायोजन किया जाएगा। परियोजना प्रमुख और परियोजना प्रमुख के सहयोगी अन्य कर्मचारियों को आरईसी की सहमति के बिना इस परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान बदला नहीं जाएगा। लेकिन इस संबंध में आरईसी का निर्णय अंतिम होगा।

8.6 पीएमसी वास्तुविद के कार्यों पर नजर रखेगी जिसके मोटे रूप में कार्यक्षेत्र इस प्रकार है

1. वास्तुविद निर्माण के दौरान डिजाइनर का पर्यवेक्षण सहित संपूर्ण कार्यालय परिसर के व्यापक वास्तुविद और इंजीनियरी परामर्श के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसा कोई परामर्शी कार्य जिसका उल्लेख नीचे नहीं किया गया है लेकिन जो कार्यालय परिसर को पूरा करने के लिए आवश्यक है, वह इस कार्यक्षेत्र में शामिल समझा जाएगा।

वास्तुविद को वास्तुविद संकल्पना से लेकर कार्य पूरा होने तक व्यापक वास्तुविद और इंजीनियरी परामर्शी सेवाओं के संबंध में सभी व्यावसायिक सेवाएं देनी होंगी।

वास्तुविद लागू डिजाइन की समीक्षा करने के लिए आरईसी से परामर्श करेगा और परियोजना दल के सदस्यों के साथ पत्राचार करेगा। वास्तुविद स्थानीय वास्तुविद (वास्तुविदों) /वास्तविक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले उप-परामर्शदाताओं द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का अपनी लागत पर समन्वय करेगा। और वे सभी सेवाएं प्रदान करेगा जो आरईसी और पीएमसी द्वारा सौंपी जाएं।

2. वास्तुविद पीएमसी की सेवा समयतालिका तैयार करेगा और उसे आवधिक रूप से अद्यतन करेगा जिससे आरईसी द्वारा अपेक्षित निर्णयों के संबंध में निर्धारित तारीखों को अभिनिर्धारित किया जा सके। इसके अलावा, कार्य की आवश्यकता के अनुसार, आरईसी द्वारा वांछित डिजाइन सेवा, दस्तावेजों को पूरा करने का कार्य और निर्माण कार्य के पूरा होने की संभावित तारीखों और बड़ा कार्य पूरा होने के संबंध में सूचना देगा।

3. वास्तुविद परियोजना के डिजाइन और इसके डिजाइन की संभावनाओं का स्पष्टीकरण देने के प्रयोजन से आरईसी परियोजना के प्रेजेंटेशन देगा। वास्तुविद आरईसी द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन के प्रयोजन के लिए डिजाइन प्रक्रिया का उचित अंतरालों पर आरईसी को डिजाइन दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। वास्तुविद डिजाइन के भावी विकास के लिए आरईसी से ठीक समय पर अनुमोदन पाने हेतु निर्भर रहने का हकदार होगा।

सेवाओं के कार्यक्षेत्र में ऐसी सभी औपचारिक सेवाएं भी शामिल होंगी जिनका उल्लेख संविदा दस्तावेज में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है लेकिन जो संपूर्ण रूप से उसे सौंपी गई सेवाओं के सभी क्षेत्रों को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक हों ताकि डिजाइन की व्यवहार्यता, अनुरक्षणीयता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके बशर्ते कि 'शामिल न करने' या अवार्ड लेटर में दी गई विशिष्टियों में इसे विशिष्ट रूप से अलग न किया गया हो।

4. वास्तुविद द्वारा की गई सेवाएं चुने गए वास्तुविद के लिए वैश्विक वास्तुविद डिजाइन प्रतियोगिता की मद 4.3 - चुने गए वास्तुविद के कार्य के मोटे-मोटे कार्यक्षेत्र में संक्षेप में बताए गए अनुसार होंगी और इसमें निम्नलिखित और अन्य बातें भी शामिल की जाएंगी।

- (i) संकल्पना, प्राथमिक, विस्तृत डिजाइन और निर्माण आरेख तैयार करना ताकि सभी स्थानीय/सांविधिक प्राधिकरणों से परियोजना के लिए अपेक्षित सभी तरीकों और आरेखों का अनुमोदन दिया जा सके।
- (ii) मात्रा प्रपत्र और विशिष्टियां
- (iii) कार्यस्थल का आवधिक निरीक्षण और निर्माण कार्य का मूल्यांकन
- (iv) सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा समापन/अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करने के लिए समापन रिपोर्ट और आरेख।
- (v) निर्माण आरेख तैयार करना।
- (vi) सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा अधिभोग प्रमाण-पत्र जारी करना।
- (vii) वास्तुविद डिजाइन और कार्यस्थल योजना/विकास।
- (viii) ढांचागत इंजीनियरी डिजाइन।
- (ix) स्वच्छता, नलसाजी, अग्निशमन और संबंधित प्रणाली का डिजाइन।

- (x) विद्युत इंजीनियरी डिजाइन।
- (xi) तापन, वातायन और वातानुकूलन कार्य (एचवीएस)
- (xii) लाइट का डिजाइन
- (xiii) लैंडस्केप डिजाइन
- (xiv) आंतरिक निर्माण कार्य
- (xv) संविदा कार्य का निष्पादन करना और गुणवत्ता कार्य।

5. (क) वास्तुविद संबंधी घटक से संबंधित परिचालन, कार्य वितरण, पारस्परिक कार्य और बाह्य संबंधों के मूल उपागम सहित कार्यस्थल का मूल्यांकन और विश्लेषण करना।
- (ख) दी गई अपेक्षाओं के संदर्भ में संकल्पना डिजाइन तैयार करना और क्यूबिक माप या क्षेत्र के आधार पर लागत का अनुमानित प्राक्कलन तैयार।
- (ग) आरईसी द्वारा अपेक्षित परिवर्तनों को शामिल करते हुए संकल्पना डिजाइन में आशोधन करना और लागत के प्रारंभिक प्राक्कलन सहित आरईसी के अनुमोदन के लिए प्रारंभिक आरेख और डिजाइन तैयार करना।
- (घ) सांविधिक निकायों को स्वीकृति और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक आरेख तैयार करना।
- (ङ) लागत का अनुमान तैयार करने के लिए और टेंडर आमंत्रित करने के लिए कार्य आरेख, विस्तृत विशिष्टियां और मात्रा पत्रक तैयार करना।
- (च) समुचित औचित्य सहित ठेकेदारों की सूची तैयार करना।
- (छ) कार्य आरेख तैयार करना जिसमें बड़े स्तरीय और पूरे आकार के विवरण भी शामिल हैं, विस्तृत विशिष्टियां और मात्रा अनुसूचियां भी शामिल हैं ताकि टेंडर आमंत्रित किए जा सकें।
- (ज) संपूर्ण निर्माण आरेख और विवरण तैयार करना और प्रस्तुत करना ताकि कार्यस्थल पर कार्य आरंभ किया जा सके और निर्माण कार्य के दौरान समुचित कार्य-निष्पादन किया जा सके।
- (ञ) कार्यस्थल का दौरा करना और आवश्यक होने पर आवधिक टिप्पणियां प्रस्तुत करना ताकि आरेख और विशिष्टियों के निर्णय और/या निर्वचन को स्पष्ट किया जा सके और यह सुनिश्चित करने के लिए सम्मेलन और/या बैठकों में भाग लेना कि परियोजना का कार्य सामान्यतः संविदा की शर्तों के अनुसार किया जा रहा है।
- (ट) समापन रिपोर्ट और निर्माण आरेख तैयार करना और प्रस्तुत करना।

8.7 पीएमसी नीचे दिए अनुसार, परियोजनाओं के सभी क्रियाकलापों के पूर्ण प्रबंधन और निर्माण पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगा।

**(क) निर्माण-पूर्व चरण**

- (i) आरईसी के साथ चर्चा और आरईसी की जरूरतों को संक्षिप्त रूप से शामिल करते हुए परियोजना को अंतिम रूप देना।
- (ii) विस्तृत पीईआर/सीपीएम चार्ट तैयार करना।

- (iii) समय-सीमा, संसाधनों के आबंटन और अनुसूची के संदर्भ में आरईसी द्वारा अनुमोदित अद्यतन तकनीकों और सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके क्रियाकलापों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का विश्लेषण करना।
- (iv) रोकड़ प्रवाह चार्ट
- (v) गृह पांच सितारे के अनुकूल भवन निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संबंधित प्राधिकरणों से आरईसी वर्ल्ड मुख्यालय भवन को पंजीकृत करवाना।
- (vi) गृह पांच सितारा वाले भवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परामर्शदाता को काम पर लगाना और तब तक उनसे और अन्य एजेंसी (एजेंसियों) से समन्वय करना जब तक यह रेटिंग प्राप्त नहीं हो जाती। गृह पांच सितारा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भाड़े पर लिए गए परामर्शदाता के परामर्शी प्रभागों को वास्तविक व्यय के अनुसार आरईसी द्वारा अदा किया जाएगा।
- (vii) संगत बीआईएस कोड और सीपीडब्ल्यूडी की विशिष्टियों के अनुसार भू-तकनीकी जांच करना।
- (viii) यह सुनिश्चित करना कि आरईसी वर्ल्ड मुख्यालय भवन गृह पांच सितारा के अनुसार हो।
- (ix) ढांचे के डिजाइन की अच्छाई के लिए जिम्मेदार होना और आईआईटी या एसपीए या उसी स्तर के अन्य मान्यताप्राप्त संस्थान से आरईसी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद विधीक्षा करवाना।
- (x) वास्तुविद, तकनीकी विशिष्टियों, सेवाओं और सभी अन्य आरेखों की जांच करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे पूरे/ सही हैं।
- (xi) वास्तुविद द्वारा तैयार किए गए और प्रस्तुत किए गए मात्रा प्रपत्र की जांच करना और लागत प्राक्कलन तैयार करना।
- (xii) अनुमोदित वास्तु आरेख/डिजाइन के अनुसार विस्तृत प्राक्कलन के आधार पर पीएमसी टेंडर दस्तावेज तैयार करेगा और प्रतियोगी दरें प्राप्त करने के लिए टेंडर जारी करेगा।
- (xiii) आरईसी के अनुमोदन के बाद समय-समय पर जारी किए गए सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार बोलियों की प्रक्रिया और ठेकेदारों का चयन तथा कार्य अवार्ड करना।
- (xiv) यह कार्य सीपीडब्ल्यूडी के अद्यतन मानक विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा और सीपीडब्ल्यूडी या बीआईएस विशिष्टियों के अंतर्गत नहीं आने वाली मदों के संबंध में अद्यतन बीआई विशिष्टियों, कार्य परिपाटी कोड या विनिर्माता विशिष्टियों के अनुसार किया जाएगा।
- (xv) कार्य आरंभ करने और सभी स्थानीय/सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा अधिभोग प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आरेखों का अनुमोदन प्राप्त करने में भी पीएमसी वास्तुविद के साथ-साथ जिम्मेदार होगा।

(ख) निर्माण का चरणः

पीएमसी परियोजना को समयबद्ध तरीके से निष्पादित करेगा और भवन एवं सभी प्रकार से पूर्ण कार्यों को, जिन्हें आरईसी द्वारा प्रमाणित कर दिया गया हो, अर्वाह पत्र जारी होने के दस दिन से शुरू 42 महीनों की समय-सीमा के अंदर सुपुर्द करेगा। पीएमसी यह भी सुनिश्चित करेगा कि समय और लागत में कोई बढोतरी नहीं हुई है।

पीएमसी निर्माण कार्य शुरू होने से आरईसी को प्रयोग के लिए परियोजना सुपुर्द करने तक निर्माण प्रबंधन सेवाएं प्रदान करेगा। पीएमसी की यह भी जिम्मेदारी होगी कि वह परियोजना के सुचारु संचालन के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ संपर्क और समन्वय करे। परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता की निर्माण की अवस्था में जिम्मेदारियां अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित होंगी-

- (i) आरईसी द्वारा अनुमोदित निर्माण प्रबंधन दल के विभिन्न सदस्यों की बैठक कराना और सभी प्राथमिक कार्रवाई तथा संचरण के लिए आरईसी की ओर से ठेकेदार के परियोजना दल के साथ प्राथमिक चर्चा करना।
- (ii) टेंडर के प्रावधानों के अनुरूप ठेकेदार के विस्तृत क्रियाकलापों के कार्यक्रम की जांच करना और उसे अंतिम रूप देना।
- (iii) निर्माण कार्य को करने के लिए सभी ठेकेदारों, उप-ठेकेदारों और एजेंसियों की जांच और उनका अनुमोदन।
- (iv) ठेकेदारों के साथ संविदा पर हस्ताक्षर करना।
- (v) आरईसी की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार हो रहे कार्य पर नजर रखना, कार्य की प्रगति को मानीटर करना और यदि कार्य की प्रगति/गुणवत्ता में कोई चूक/विचलन होता है तो उसे आरईसी के ध्यान में लाना।
- (vi) निर्माण कार्य स्थल का पूरे समय पर्यवेक्षण करना ताकि स्वीकृत अनुसूची के अनुसार परस्पर सहमत उपयुक्त कार्मिकों को काम पर लगाकर आरेख, विशिष्टियों और संविदा का सही अनुपालन किया जा सके।
- (vii) फेब्रिकेशन आरेख, बार बेंडिंग अनुसूची और निर्माण के दौरान सभी अन्य वास्तुविद/संरचना संबंधी विवरणों की जांच करना।
- (viii) कार्य स्थल पर कार्य करने वाली विभिन्न एजेंसियों और वास्तुविद के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना ताकि क्रियाकलापों के सहमत कार्यक्रम के अनुसार कार्यस्थल पर सभी निर्माण कार्य सुचारु रूप से होते रहें।
- (ix) अद्यतन तकनीकों और सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके गुणवत्ता, समय और लागत मापदंडों के आधार पर निर्माण की प्रगति को सतत रूप से मानीटर करना और विचलन को सही करने के लिए समय पर कार्रवाई करना।
- (x) परियोजना के लिए किफायत/गुणवत्ता/समय लाभ के विशेष उपायों को लागू करने के लिए समय पर सलाह देना।
- (xi) सहमत अनुसूची के अनुसार वास्तुविद से निर्माण के लिए जारी 'अनुमोदित आरेखों' को प्राप्त करना और उन्हें ठेकेदारों को देना।

- (xii) वास्तुविद और आरईसी के साथ संपर्क करना और वास्तुविद से सभी आवश्यक स्पष्टीकरण और अतिरिक्त आरेख और रूपरेखा प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्ध कराना।
- (xiii) यथा अपेक्षित सामग्री और कार्य के परीक्षण की जांच करना और उसका निरीक्षण करना। यदि अपेक्षित हो तो विनिर्मित मदों के परीक्षण और जांच विनिर्माता के कारखाने में संविदा के प्रावधानों के अनुसार करना।
- (xiv) गुणवत्ता आश्वासन योजना और सुरक्षा आश्वासन योजना तथा उसके समुचित और प्रभावी तंत्र की रूपरेखा तैयार करना और उसे यथा स्थान लगाना ताकि कार्य स्थल पर उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
- (xv) ठेकेदारों के कार्य की जांच करना और उसे प्रमाणित करना और निर्माण एजेंसियों को जारी की जाने वाली अदायगी के प्रयोजन के लिए निष्पादित कार्य के अंतिम बिलों की जांच करना और उसे प्रमाणित करना।
- (xvi) कार्य की नई मदों के लिए या ऐसे विद्यमान मदों के लिए जो संविदा में परिभाषित सीमा के अतिरिक्त मात्राओं में विचलन हो, की समीक्षा करना और आरईसी के अनुमोदन के लिए उसकी सिफारिश करना।
- (xvii) सभी संविदा करारों को संविदा प्रशासन सेवाएं प्रदान करना और यदि कोई विवाद हों तो उनके तत्काल और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए उपयुक्त विवाद समाधान तंत्र तैयार करना।
- (xviii) मुख्य तकनीकी परीक्षक, लेखापरीक्षा या सरकार की अन्य जांच या अन्वेषण एजेंसी की टिप्पणियों/आपत्तियों/पैराओं (यदि कोई हों) का उत्तर देना और उसका निपटान करना।
- (xix) विभिन्न तंत्रों के परीक्षण और उनके चालू करने के संबंध में अंतिम निरीक्षण, जांच और पर्यवेक्षण करना और कार्य के विभिन्न भागों और विभिन्न तंत्रों को लागू करने में आरईसी को सहयोग देना।
- (xx) स्वीकृत फार्मेट और स्वीकृत अंतराल में आरईसी को समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करना। इस प्रयोजन के लिए कार्य के निष्पादन से संबंधित सभी आवश्यक संगत आंकड़े, जिनमें कार्यस्थल पर लाई गई और खपत की गई सामग्री, व्यवधान, यदि कोई हो, काम पर लगाए गए दिहाड़ी मजदूरों का रिकार्ड तैयार रखा जाएगा।
- (xxi) पीएमसी भवन को कब्जे में लेने के लिए अपेक्षित बिजली, पानी और जल-मल निकासी जैसी सेवाओं के सभी कनेक्शन स्थानीय प्राधिकारियों से प्राप्त करेगा।
- (xxii) पीएमसी मॉनीटरिंग रिपोर्ट तैयार और प्रस्तुत करके आरईसी द्वारा उचित समझे जाने वाली साप्ताहिक/पाक्षिक और मासिक परियोजना संबंधी प्रगति और/या क्रियाकलापों से आरईसी को अवगत कराएगा। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल होंगी-
- (क) परियोजना, आरईसी, परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता, वास्तुविद और ठेकेदार का नाम।

- (ख) ठेकेदार के निर्माण कार्य का क्षेत्र
- (ग) कार्य के शुरू होने की तारीख/कार्य के पूरा होने की तारीख: अनुसूचित और वास्तविक
- (घ) लंबित पड़े बड़े-बड़े मुद्दे और निर्णय जिनमें आरेखों की बाध्यकारिता (यदि कोई हो), कार्यस्थल की बाध्यकारिता, यदि कोई हो और उपस्करों की बाध्यकारिता, यदि कोई हो, शामिल होंगी।
- (ङ.) कार्य प्रगति की स्थिति : रोकड़ प्रवाह चार्ट, एलओबी चार्ट और बार चार्ट।
- (च) चिंता के क्षेत्र
- (छ) पीएमसी द्वारा रखे गए रजिस्ट्रों की सूची
- (ज) काम पर लगाए गए श्रमिकों का विवरण
- (झ) कार्य स्थल पर जुटाए गए उपस्करों की सूची
- (ञ) कार्य स्थल पर सामग्री/कार्मिक
- (ट) ठेकेदार की अदायगी की स्थिति
- (ठ) सामग्री/परीक्षणों की गुणवत्ता
- (ड) पैकेज की अलग-अलग लागत विवरण
- (ढ) कार्य स्थल के फोटोग्राफ
- (ण) कार्य स्थल आदेश पुस्तिका
- (त) आगंतुकों द्वारा कार्य स्थल का निरीक्षण

**(ग) निर्माण के बाद के चरण**

इस चरण के दौरान किए जाने वाले क्रियाकलाप इस प्रकार होंगे

- (i) ठेकेदारों के सभी खातों का निपटान करना।
- (ii) ठेकेदारों को सप्लाई की गई सामग्री, यदि कोई हो, का समाशोधन करना।
- (iii) संबंधित ठेकेदारों द्वारा अपने दायित्व अवधि के दौरान दोषों में सुधार सुनिश्चित करना।
- (iv) ऐसी समापन रिपोर्ट तैयार करना जिसमें परियोजना की सभी तकनीकी और वित्तीय सूचना हो।

- (v) लेखापरीक्षा/सीटीई की टिप्पणियों और माध्यस्थम के मामलों आदि, यदि कोई हों, का निपटान करना।
- (vi) लेखापरीक्षा/सीटीई की टिप्पणियों और माध्यस्थम के मामलों आदि के निपटान के लिए सभी दस्तावेज/रिपोर्टें/तथ्यों का विवरण/तथ्यों का प्रति-विवरण उपलब्ध करना, जिसमें आरईसी द्वारा जब कभी अपेक्षित हो, सुनवाई में उपस्थित होना और आरईसी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित आवश्यक सहयोग देना भी शामिल है।

ऐसा कोई परामर्शी क्रियाकलाप करना जिसका नीचे विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु जिन्हें परियोजना के संबंध में पूरा किया जाना है, वे कार्य के क्षेत्र में शामिल किए गए माने जाएंगे।

## 9.0 पीएमसी द्वारा सौंपे गए कार्य का निष्पादन

- 9.1 परियोजना के निर्माण के बारे में सभी क्रियाकलापों का उचित कार्य-निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए पीएमसी परियोजना स्थल पर या उसके समीप अपना कार्यालय स्थापित करेगा और आरईसी के अनुमोदन के बाद वहां समर्पित कार्मिकों को तैनात करेगा ताकि वे हमेशा चर्चा के लिए उपलब्ध रहें। कार्य स्थल पर तैनात किए गए किसी भी कार्मिक को आरईसी की सहमति के बिना स्थानांतरित नहीं किया जाएगा/हटाया नहीं जाएगा। इसी प्रकार, परियोजना स्थल पर नए कार्मिकों को तैनात करने से पूर्व आरईसी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
- 9.2 पीएमसी समय-समय पर परियोजना की नीति योजना और समय प्रबंधन की समीक्षा करेगा। इसमें परियोजना के ढांचागत कार्य का लगातार मूल्यांकन करना और उसमें संशोधन करना शामिल होगा ताकि अत्यंत प्रभावी और किफायती तरीके से वांछित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।
- 9.3 पीएमसी अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में सभी उचित कौशल, सावधानी और परिश्रम का प्रयोग करेगा और इस प्रकार का पर्यवेक्षण और निरीक्षण करेगा ताकि निर्माण कार्य संविदा के प्रावधानों के अनुरूप किया जाए।
- 9.4 पीएमसी यह सुनिश्चित करेगा कि निर्माण कार्य मात्रा और मानक के अनुसार और बजट की लागत तथा समय के अंतर्गत पूरा किया जाए। कार्य स्थल पर किसी भी कार्य के पूरा होने की तारीख का पालन न हो पाने पर करार की सामान्य शर्तों में दिए गए अनुसार पीएमसी पर दंड लगाया जाएगा।

## 10.0 करार की सामान्य शर्तें

### 10.1 अपरिहार्य घटना

- (i) यदि कोई भी पक्षकार इस संविदा के अधीन उनके द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित किसी दायित्व को अपरिहार्य घटना के कारण पूरा नहीं कर पाता तो ऐसी अपरिहार्य घटना के कारण पक्षकारों के दायित्व पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को यह अपरिहार्य कारण बने रहने तक की अवधि में निलंबित समझा जाएगा।।

- (ii) इस करार के प्रयोजन के लिए 'अपरिहार्य घटना' में केवल युद्ध, नागरिक विद्रोह, भूकंप, तूफान, बाढ़ (जिसमें बारिश के कारण आई बाढ़ शामिल नहीं है), विस्फोट या अग्नि, जो लापरवाही से न लगी है, बिजली गिरना, दैवी घटना, महामारी या जन आक्रोश शामिल है जो इस प्रकार के हों कि जिनसे किसी एक पक्षकार को समय पर कार्य करने में विलंब हो रहा हो, कम समय मिल पा रहा हो या बाधा हो रही हो।
- (iii) ऐसी घटनाओं के होने और उनके समाप्त होने पर पक्षकार ऊपर बताए गए अनुसार उस कार्य को नहीं कर पाता है तो इसकी सूचना लिखित रूप में दूसरे पक्षकार को 72 (बहतर) घंटे के अंदर देगा। इस नोटिस के बाद स्थानीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स या सांविधिक प्राधिकरण से एक प्रमाण-पत्र लिया जाएगा जो ऐसी अपरिहार्य घटना के शुरु होने और समाप्त होने के 15 दिन के अंदर दावे के समर्थन में संतोषजनक साक्ष्य के रूप में लगाया जाएगा।
- (iv) अपरिहार्य घटना के कारण निलंबित दायित्व से संबंधित कार्य-निष्पादन का समय उतनी अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा जितनी अवधि तक यह कारण बना रहा।
- (v) यदि ऐसी अपरिहार्य घटना दो महीने से अधिक अवधि तक विद्यमान रहने के कारण कार्य निलंबित रहा हो, तो आरईसी को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेक पर इस पूरी संविदा या उसके किसी भाग को रद्द कर सकेगा।

## 10.2 परिसमाप्त क्षति

- (क) पीएमसी उस स्थिति में आरईसी को क्षति की अदायगी करेगा यदि खंड 5.4(i) और 5.4(ii) में निर्धारित समय-सीमा के बाद परियोजना के पूरा होने में विलंब होता है। इस विलंब के लिए विलंब के प्रत्येक सप्ताह के संबंध में परामर्शी शुल्क पर 0.50औ (शून्य दशमलव पचास प्रतिशत) की दर से पीएमसी से ही विलंब शुल्क लिया जाएगा। परंतु यह विलंब शुल्क परामर्शी शुल्क के अधिक से अधिक 10औ (दस प्रतिशत) तक हो सकेगा।
- (ख) यदि खंड 10.6 के अनुसरण में करार समाप्त किया जाता है, तो आरईसी पीएमसी पर देय शुल्क के कुल मूल्य के 10औ तक परिसमाप्त क्षति लगा सकता है।
- (ग) यदि पीएमसी द्वारा काम पर लगाए गए ठेकेदारों/एजेंसियों/आपूर्तिकर्ताओं के कारण परियोजना के पूरा होने में विलंब होता है, तो पीएमसी पर विलंब के प्रत्येक सप्ताह के लिए अवार्ड की गई संविदा के मूल्य पर 0.5औ (शून्य दशमलव पांच प्रतिशत) की दर से परिसमाप्त क्षति लगाई जाएगी। लेकिन यह क्षति अवार्ड किए गए संविदा मूल्य के अधिक से अधिक 10औ (दस प्रतिशत) तक होगी जो आरईसी द्वारा काट ली जाएगी।
- (घ) उपर्युक्त खंड 10.2(क) के अलावा, पीएमसी को उस स्थिति में देय परामर्शी प्रभार के 2औ (दो प्रतिशत) का क्षति शुल्क अदा करना होगा, यदि गृह 5-सितारा वाले भवन का लक्ष्य प्राप्त न किया जा सके। इस रकम की कटौती आनुपातिक आधार पर प्रत्येक आरए बिल से की जाएगी और यह गृह 5-सितारा संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर जारी कर दी जाएगी।

### 10.3 बोनस

पीएमसी को प्रति सप्ताह 0.25औ (शून्य दशमलव पच्चीस प्रतिशत) का बोनस अदा किया जाएगा जो अनुसूचित समय में कार्य पूरा करने के लिए पीएमसी को देय शुल्क के अधिक से अधिक 2.5औ तक होगा।

### 10.4 प्रतिभूति जमा या धरोहर राशि

परामर्शी प्रभारों के बिल से किसी प्रतिभूति धन की कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन पीएमसी प्रतिभूति जमा या धरोहर रकम के रूप में ठेकेदार के प्रत्येक चालू बिल के मूल्य के 5औ के बराबर की रकम काटा जाना सुनिश्चित करेगा। प्रतिभूति धन या धरोहर धन कार्य के दोषपूर्ण दायित्व की अवधि पूरी होने पर वापस किया जाएगा।

### 10.5 निलंबन

आरईसी पीएमसी को निलंबन का लिखित नोटिस देकर, पीएमसी को दी जाने वाली सभी अदायगियों को निलंबित कर सकता है, यदि पीएमसी इस संविदा के अधीन अपने किसी दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाता है। ऐसे दायित्वों में ऐसी सेवाएं करना, भी शामिल है। शर्त यह कि निलंबन के इस नोटिस में (i) कार्य न कर पाने की प्रकृति का उल्लेख किया गया हो, और (ii) पीएमसी से अनुरोध किया जाएगा कि वह निलंबन के ऐसे नोटिस के अधिक से अधिक सात दिन की अवधि के अंदर इस प्रकार कार्य न कर सकने की स्थिति में सुधार करे।

### 10.6 समाप्ति

10.6.1 इस खंड में दिए गए अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, आरईसी किसी विलंब, परित्याग, घटिया गुणवत्ता या कार्य के संबंध में पीएमसी के प्रति इसके किसी अन्य अधिकार या उपचार पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले क्षति के किसी दावे और/या इस संविदा के किसी अन्य प्रावधान या अन्यथा भले ही वह कार्य समापन करने की तारीख के दौरान चूक हुई हो या नहीं हुई हो, लिखित रूप में नोटिस देकर निम्नलिखित मामलों में संविदा को पूर्णतः समाप्त कर सकता है

- (i) यदि पीएमसी को आरईसी ने लिखित रूप में यह नोटिस दिया हो कि कार्य अपर्याप्त रूप से किया जा रहा है या गुणवत्ता जांच नहीं की जा रही है या अन्यथा वह उचित नहीं है या वह कार्य कुशलता से नहीं किया जा रहा है तो यदि वह इस नोटिस के बाद सात दिन के अंदर अपेक्षित अनुपालन नहीं करता है।
- (ii) यदि पीएमसी एक कंपनी होने के नाते, कोई प्रस्ताव पारित करेगी या न्यायालय यह आदेश पारित करता है कि इस कंपनी को बंद कर दिया जाए या क्रेडिटर की ओर से कोई रिसीवर या प्रबंधक नियुक्त किया जाता है या यदि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जिनके कारण न्यायालय या क्रेडिटर को कोई प्रबंधक नियुक्त करना पड़ रहा हो या ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएं कि न्यायालय को उसे बंद करने का आदेश देना पड़े।

- (iii) यदि पीएमसी संविदा के अधीन अपने दायित्वों की लगातार उपेक्षा करता है और/या संविदा की किसी शर्त का अनुपालन करने में चूक करता है और इसमें सुधार नहीं करता है या आरईसी की ओर से उसे लिखित रूप में दिए गए नोटिस के बाद सात दिन के अंदर उसे ठीक करने के प्रभावी उपाय नहीं करता है।
- (iv) यदि पीएमसी ने उपर्युक्त में से किसी मामले के अधीन ऐसी परिस्थिति पैदा की हो कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो आरईसी को अधिकार है कः
- (क) वह उपर्युक्त के अनुसार संविदा को समाप्त या निरस्त कर सकता है (जिसके संबंध में आरईसी पीएमसी को लिखित रूप में इसे समाप्त या निरस्त करने का निष्कर्ष रूप में साक्ष्य देगा)। ऐसी समाप्ति या निरसन के बाद पूरी प्रतिभूति जमा और संविदा के अधीन वसूल की जाने वाली कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी पूर्णतः आरईसी की मर्जी पर होगी।
- (ख) ऐसी परियोजना/परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दूसरे पीएमसी की नियुक्ति करना जिसके मामले में निर्धारित मात्रा से अधिक खर्च हुआ हो जिसे मूल पीएमसी द्वारा उस स्थिति में अदा किया जाता यदि पूरा कार्य उसके द्वारा निष्पादित किया जाता (ऐसी रकम के संबंध में, जिसके लिए आरईसी का लिखित प्रमाण-पत्र अंतिम और निष्कर्षपूर्ण होगा), मूल पीएमसी द्वारा वहन किया जाएगा और अदा किया जाएगा या उसे उस धन में से काटा जाएगा जो वर्तमान संविदा के अधीन या किसी अन्य कारण से आरईसी द्वारा उसे दिया जाना हो या इसे उसकी प्रतिभूति जमा या बैंक गारंटी से काटा जाएगा या बिक्री से प्राप्त रकम से काटा जाएगा या उसके पर्याप्त भाग से काटा जाएगा, (जो भी स्थिति हो)। यदि विभाग द्वारा खर्च किया गया व्यय पीएमसी को उसके करार की दर के अनुसार देय रकम से कम हो तो पीएमसी को उसके अंतर की अदायगी नहीं की जाएगी।

आरईसी द्वारा अपनाए जाने वाले उपर्युक्त किसी या अधिक तरीकों की स्थिति में पीएमसी का उसे हुई हानि के संबंध में प्रतिपूर्ति का कोई दावा इस कारण नहीं करना होगा कि उसने करार के संबंध में धन खर्च किया है या करार निष्पादित करने में धन खर्च किया है या कार्य के निष्पादन के लिए किसी कारण अग्रिम अदायगी की है या संविदा के निष्पादन के लिए कोई अदायगी की है और यदि उपर्युक्त प्रावधानों में से किसी प्रावधान के अधीन कार्रवाई की जाती है तो पीएमसी किसी कार्य के संबंध में वसूली का हकदार नहीं होगा या उसे कोई अदायगी नहीं की जाएगी या इस करार के अधीन वास्तविक रूप से किए गए कार्य के संबंध में तब तक कोई अदायगी नहीं की जाएगी जब तक आरईसी ऐसे कार्य के निष्पादन के संबंध में लिखित रूप से प्रमाणित न कर दे और उसके संबंध में देय मूल्य निर्धारित न कर दे और इस प्रकार प्रमाणित मूल्य की अदायगी करने के लिए ही वह हकदार हो।

10.6.2 किसी भी कारण से सौंपे गए कार्य को समाप्त किए जाने पर पीएमसी 30 दिन के अंदर सभी आरेख, डिजाइन और प्राप्त दस्तावेज आरईसी को सौंप देगा या इस करार के परिणामतः उसके अधीन या उसके अनुसरण में इस परियोजना से संबंधित सभी आरेख आदि जमा कर देगा।

10.6.3 करार समाप्त होने की स्थिति में पीएमसी को कार्य स्थल (स्थलों) से ऐसी समाप्ति के 15 दिन के अंदर अपने कार्मिक, उपस्कर आदि हटाने होंगे। ऐसा न करने पर कार्य स्थल (स्थलों) से उपर्युक्त चीजों को न हटाने के कारण आरईसी को हुई हानि या क्षति को पीएमसी के खाते में डाला जाएगा।

## 10.7 गारंटी और देयताएं

10.7.1 पीएमसी की यह गारंटी कि उसकी करार में पीएमसी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले यथाविनिर्दिष्ट/निर्धारित सेवाएं और पीएमसी द्वारा तैयार किए जाने वाले तकनीकी दस्तावेज ठीक-ठाक हालत में और स्थापित इंजीनियरी परिपाटी के अनुसार होंगे जिनमें भारतीय संहिताओं और विनियमों का प्रयोग किया गया हो और जहां कहीं लागू हो, अंतरराष्ट्रीय मानकों का प्रयोग किया गया हो जो विनार्दिष्ट प्रयोजन के लिए हों, जिनमें कोई दोष न हो और जिस कार्य में उन्हें प्रयोग किया जाना है, उसके अनुकूल हों।

10.7.2 पीएमसी इस करार के प्रावधानों के अनुसार और ऐसे कार्य-निष्पादन में पीएमसी की चूक के कारण आरईसी को हुई हानि के संबंध में सेवाओं के कार्य-निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा।

## 10.8 दोष दायित्व अवधि

सभी कार्यों को पूरा करने की वास्तविक तारीख से 12 महीने की अवधि के अंतर्गत ध्यान में आए/पाए गए किसी दोष को पीएमसी द्वारा अपने जोखिम और लागत पर ठीक करवाया जाएगा जिसके लिए उसे किसी प्रतिपूर्ति की अदायगी नहीं की जाएगी।

## 10.9 बीमा

इसके अंतर्गत सेवाओं के निष्पादन के दौरान पीएमसी अपनी लागत पर निम्नलिखित सूची के रूप में लागू बीमा लेगा, उसे करवाएगा और उसे जारी रखेगा।

10.9.1 कर्मकार प्रतिकर बीमा जिसके अंतर्गत पीएमसी के सभी कर्मचारी आते हैं और जो उस क्षेत्र के स्थानीय कानूनों के अनुसार तय और अपेक्षित सांविधिक लाभ हैं या जिसके संबंध में पीएमसी कानूनी रूप से उत्तरदायी है, उसके लिए शारीरिक रूप से चोट या मृत्यु के लिए बीमा करवाएगा।

10.9.2 निर्माण के स्थल पर पीएमसी के स्वामित्व की सभी संपत्ति की आग, चोरी, क्षति और हानि के संबंध में बीमा करवाएगा।

10.9.3 पीएमसी के कर्मचारियों के लिए समूह कार्मिक दुर्घटना बीमा जो उपयुक्त पैरा 10.7.1 के अधीन नहीं आता है और जो पीएमसी की स्थापित परिपाटी के अनुसार कार्य स्थल से प्रचालित किया जाता है।

10.9.4 कोई अन्य बीमा कवर, जो किसी कानून या किसी अन्य कारण से लेना आवश्यक हो।

## 10.10 क्षतिपूर्ति

पीएमसी किसी कार्य को करते समय या सभी कार्यों को करते समय पीएमसी के कारण या उसके कर्मचारियों, एसोसिएट्स, उप-परामर्शदाताओं, कार्यान्वयन एजेंसियों की उपेक्षा, अक्षमता, लापरवाही या किसी अन्य कारण से आरईसी को हुई हानि के लिए आरईसी को क्षति की अदायगी करने के लिए जिम्मेदार होगा।

आरईसी पीएमसी के कर्मचारियों को इस करार के कार्य-निष्पादन के परिणामतः कार्मिकों को पहुंची चोट के कारण, जिसमें मृत्यु भी शामिल है, किसी दावे या देयता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। आरईसी पीएमसी या उसके कर्मचारी, नौकर या एजेंट की किसी संपत्ति की कोई हानि या क्षति के लिए भी जिम्मेदार नहीं होगा।

## 10.11 पेटेंट

किसी भी पेटेंट या पेटेंट की लंबित मद, विधि या उपाय को आरईसी के लिखित पूर्व-अनुमोदन के बिना किसी कार्य के संबंध में प्रयोग में नहीं लाया जाएगा या उसकी आपूर्ति नहीं की जाएगी या उसे किसी कार्य में नहीं लगाया जाएगा बशर्ते कि खरीद की शर्तों में खरीद की कीमत के अलावा लाइसेंस शुल्क या रायल्टी शामिल न हो या अपेक्षित न हो और आरईसी के समाधान के रूप में पेटेंट में दी गई क्षति की पूर्ति नहीं करेगा।

पीएमसी किसी भी दावे से उत्पन्न सभी लागतों, क्षति और व्यय के संबंध में आरईसी की क्षतिपूर्ति करेगा और आरईसी का धारणाधिकार बनाएगा और किसी पेटेंट या पंजीकृत डिजाइन या इसी प्रकार के किसी अधिकार के संबंध में अन्य पक्षकार द्वारा आरईसी के खिलाफ कोई कार्रवाई या मुकदमा नहीं करेगा, जो अधिकार किसी तकनीकी सूचना, आंकड़े या प्रक्रिया या डिजाइन के कारण हो जो पीएमसी से संबंधित हो और आरईसी को प्रस्तुत की गई हो।

## 10.12 अतिरिक्त सेवाएं

पीएमसी आरईसी के लिखित अनुरोध पर ऐसी अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध करेगा जो इस करार में विनिर्दिष्ट की गई सेवाओं के अतिरिक्त होंगी और ऐसी शर्तों पर उपलब्ध कराएगा जो आरईसी और पीएमसी द्वारा परस्पर सहमत शर्तों पर की गई हों।

## 10.13 परिवर्तन और परिवर्धन

आरईसी को यह अधिकार होगा कि वह पीएमसी को लिखित रूप से अनुरोध करके कार्यक्षेत्र में कोई परिवर्तन, आशोधन और/या परिवर्धन कर सकता है। ऐसा परिवर्तन, आशोधन और परिवर्धन पीएमसी के सेवाओं के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डिजाइन और व्यापक कार्यक्षेत्र के अंतर्गत होगा। पीएमसी ऐसे लिखित अनुरोध के आधार पर ऐसे परिवर्तन/आशोधन या परिवर्धन आदि के कारण परिणामी कार्य करेगा और इसके लिए आरईसी द्वारा उसे कोई अतिरिक्त अदायगी नहीं की जाएगी।

## 10.14 समनुदेशन

पीएमसी द्वारा आरईसी के पूर्व-लिखित अनुमोदन के बिना पूरे समनुदेशन या उसके भाग को किसी व्यक्ति/कंपनी को अंतरित या समनुदेशित नहीं किया जाएगा।

## 10.15 करार की प्रभावी तारीख

यह करार, अवार्ड लेटर जारी होने के दस दिन बाद से प्रभावी समझा जाएगा।

### 10.16 पक्षकारों के बीच सहयोग

आरईसी इस करार के प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अधिकारी को नामित करेगा और इस प्रकार नामित अधिकारी का नाम, पदनाम और पता पीएमसी को सूचित किया जाएगा। इसके साथ ही, पीएमसी अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी अधिकारी को नामित करेगा और उस अधिकारी के लिखित ब्योरे सूचित करेगा। लेकिन यह बात दोनों पक्षों के बीच समझी जाएगी और इस संबंध में सहमति व्यक्त की जाएगी कि दोनों पक्षकार हमेशा एक-दूसरे के सतत सहयोग से कार्य करेंगे ताकि परियोजना का कार्य समय पर करना सुनिश्चित किया जा सके।

### 10.17 सौहार्दपूर्ण समाधान

दोनों पक्षकार इस संविदा से उत्पन्न या संबंधित या उसके निर्वचन से उत्पन्न सभी विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने का पूरा प्रयास करेंगे।

### 10.18 विवाद का समाधान और माध्यस्थम

यदि इन संविदाओं के प्रावधानों के निर्वचन या लागू करने से कोई विवाद या मतभेद पैदा होते हों तो इस प्रकार के विवाद या मतभेदों को किसी एक पक्षकार द्वारा माध्यस्थम को भेजा जाएगा। इस एकमात्र माध्यस्थम की नियुक्ति सरकारी उद्यम विभाग के प्रभारी भारत सरकार के सचिव द्वारा नामित सरकारी उद्यम विभाग के एकमात्र माध्यस्थ द्वारा की जाएगी। माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 इस खंड के अधीन माध्यस्थम पर लागू नहीं होगा। माध्यस्थ का निर्णय विवाद के संबंध में पक्षकारों पर आबद्धकर होगा, लेकिन यह भी शर्त है कि यदि कोई पक्षकार ऐसे निर्णय से व्यथित हो, तो वह इस मामले के निपटाने के लिए या निर्णय में संशोधन के लिए इसे विधि सचिव, विधायी कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को भेज सकता है। इस प्रकार उसे भेजने के बाद इस विवाद पर विधि सचिव या विशेष सचिव/अपर सचिव द्वारा उस स्थिति में निर्णय लिया जाएगा, यदि उन्हें विधि सचिव द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। उनका निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा तथा दोनों पक्षों पर आबद्धकर होगा। विवाद से संबंधित पक्षकार माध्यस्थ द्वारा सूचित माध्यस्थम की लागत को समान रूप से वहन करेंगे।

इस करार के अधीन सेवाएं माध्यस्थम/न्यायालय की कार्रवाई के दौरान जारी रहेंगी बशर्ते कि पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में अन्यथा कोई करार न किया गया हो या जब तक यह साबित नहीं हो जाता है कि माध्यस्थम की कार्रवाई के दौरान सेवाओं को संभवतः जारी नहीं रखा जा सकेगा।

### 10.19 परित्याग के कारण संविदा को समयपूर्व बंद किया जाना

बोली स्वीकार किए जाने के बाद किसी भी समय यदि आरईसी उसके परित्याग का निर्णय लेता है या किसी भी कारण कार्य के क्षेत्र को कम करता है और इस प्रकार पूरे कार्य या उसके भाग को इस संविदा के अधीन जारी नहीं रखना चाहता तो आरईसी इस आशय का लिखित नोटिस पीएमसी को देगा और पीएमसी इस मामले में तदनुसार कार्रवाई करेगा। पीएमसी अपने किसी लाभ के कारण किसी क्षतिपूर्ति या अन्यथा की अदायगी का दावा नहीं करेगा जो उसे पूरा कार्य करने से प्राप्त होती लेकिन कार्य को पूरी तरह से या आंशिक रूप से बंद किए जाने के परिणामतः उसे प्राप्त नहीं होगा।

## 10.20 कार्य पूरा होने के बाद कार्यस्थल की सफाई

कार्य पूरा होने पर पीएमसी यह सुनिश्चित करेगा कि सभी निर्माण संबंधी संयंत्र, अतिरिक्त सामग्री, मलबा और सभी प्रकार के अस्थायी निर्माण कार्य- स्थल से हटा दिए जाएंगे और पूरे कार्य -स्थल और कार्य को साफ करके देगा और आरईसी की संतुष्टि के अनुसार उसे ठीक स्थिति में छोड़ेगा।

## 11.0 अदायगी

### 11.1 परामर्शी प्रभार

आरईसी, पीएमसी द्वारा की गई सेवाओं के संबंध में परामर्शी प्रभारों की अदायगी पर विचार करेगा। ये परामर्शी प्रभार, दोनों पक्षकारों के बीच हुई सहमति के अनुसार होंगे, जिसमें कर्मचारियों की सभी लागत, एसोसिएट, परामर्शदाता/उप-परामर्शदाताओं (यदि कोई हो), मुद्रण, प्रेषण, यात्रा, आवास और ऐसी अन्य लागत भी शामिल है जो पीएमसी द्वारा इन सेवाओं को करने के लिए खर्च की गई हो। पीएमसी की अदायगी निम्नलिखित तरीके से की जाएगी

- (i) परामर्शी शुल्क के 10औ प्रतिशत (दस प्रतिशत) की अदायगी पीएमसी को कार्य अवार्ड करने के बाद और पीएमसी से इस दस्तावेज के खंड 5.24 के अनुसार कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी प्राप्त करने के बाद की जाएगी।
- (ii) परामर्शी शुल्क के 10औ प्रतिशत (दस प्रतिशत) की अदायगी एजेंसी को संविदा अवार्ड करने के बाद की जाएगी।
- (iii) परामर्शी शुल्क के 70औ प्रतिशत (सत्तर प्रतिशत) की अदायगी मासिक/तिमाही आधार पर विभिन्न ठेकेदारों को की जाने वाली अदायगी के अनुसार आनुपातिक आधार पर की जाएगी।
- (iv) परामर्शी शुल्क की शेष 10औ प्रतिशत (दस प्रतिशत) की अदायगी इस दस्तावेज के खंड 8.6 (ग) के अधीन उल्लिखित निर्माण के बाद की सेवाओं को पूरा करने के बाद की जाएगी।

### 11.2 सेवा कर

सबूत पेश करने पर आरईसी लागू अतिरिक्त सेवा कर की अदायगी करेगा।

### 11.3 कार्य निष्पादन के लिए

आरईसी पीएमसी द्वारा प्रस्तुत और आरईसी द्वारा अनुमोदित रोकड़ प्रवाह आवश्यकताओं के अनुसार पीएमसी को भवन के निर्माण की लागत अग्रिम रूप से (किस्तों में) अदा करेगा।

संविदा की लागत के 10 प्रतिशत की पहली किस्त इस दस्तावेज के खंड संख्या 8.7(क) XIII के अधीन अपेक्षित पीएमसी द्वारा ठेकेदार (ठेकेदारों) को कार्य अर्वाड करने के लिए अनुमोदन के साथ अदा की जाएगी।

दूसरी और बाद की किस्तें आरईसी द्वारा तब अदा की जाएंगी जब पहले ही जारी लगभग 80औ रकम खर्च कर दी गई हो और पीएमसी ने आरईसी की ओर से किए गए व्यय का विवरण और अदा किए गए बिलों की प्रतियां प्रस्तुत कर दी हों। यह प्रक्रिया परियोजना लागत के 95औ की अदायगी किए जाने तक अपनाई जाएगी।

परियोजना लागत की शेष 5औ की अदायगी कार्य पूरा होने और खर्च किए गए व्यय के पूरे विवरण प्रस्तुत करने के बाद की जाएगी।

- 11.4 आरईसी सबूत के आधार पर सभी वास्तविक अदायगियों की अदायगी/प्रतिपूर्ति पीएमसी को करेगा। यह प्रतिपूर्ति स्थानीय सांविधिक प्राधिकरणों/राज्य/केंद्र सरकार को बिजली, पानी और सीवर कनेक्शनों को जारी करने के लिए अनुमोदन और की गई जमा के संबंध में की जाएगी और जो कार्य के कार्यक्षेत्र में परिभाषित दायरे से बाहर पड़ते हों, किसी अन्य प्रभार के लिए अदा की जाएगी।
- 11.5 संविदा के अधीन देय सभी अदायगियां आरईसी द्वारा आरईसी में बिल प्राप्त होने के बाद 30 दिन के अंदर की जाएंगी। परंतु अंतिम बिल की अदायगी 60 दिन के अंदर तब की जाएगी जब स्थानीय प्राधिकारियों से अधिभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया हो।
- 11.6 यदि किसी भी कारणवश संविदा की अवधि की अनुसूची के अनुसार परियोजना का कार्य पूरा नहीं होता है तो पीएमसी की सेवाएं स्वतः तब तक बढ़ाई जाएंगी जब तक उन्हीं शर्तों पर परियोजनाओं का कार्य पूरा नहीं हो जाता। लेकिन इससे आरईसी के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और परामर्शी प्रभारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

## अनुबंध-1

### 1. अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अपेक्षित अनुमानित स्थान

क्रम सं.	पदनाम/संगठन का अधिकारी	संख्या	अपेक्षित स्थान (वर्ग फुट)	अलग केबिन अपेक्षित है या नहीं	कुल अपेक्षित स्थान (वर्ग फुट)
1.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और उनका सचिवालय	1	1500	हां	1500
2.	प्रकार्यात्मक निदेशक/मुख्य सतर्कता अधिकारी	5	800	हां	4000
3.	कार्यकारी निदेशक	8	600	हां	4800
4.	महाप्रबंधक	16	400	हां	6400
5.	अपर महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक	20	350	हां	7000
6.	मुख्य प्रबंधक	20	300	हां	6000
7.	प्रबंधक	30	150	हां	4500
8.	उप प्रबंधक/सहायक प्रबंधक	60	100	नहीं	6000
9.	इंजीनियर/वरिष्ठ लेखा अधिकारी/एपीई	60	80	नहीं	4800
10.	अनुभाग अधिकारी/लेखा अधिकारी	100	80	नहीं	8000
11.	कर्मचारी	250	50	नहीं	12500
12.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	80	12.5	नहीं	1000
	<b>कुल कार्मिक</b>	<b>650</b>			<b>66500</b>

### 2. अन्य सुविधाओं के लिए अपेक्षित अनुमानित स्थान

क्रम सं.	विवरण	संख्या	अपेक्षित अनुमानित क्षेत्र (वर्ग फुट)
----------	-------	--------	--------------------------------------

1.	बोर्ड रूम	1	1000
2.	पेंट्री - बोर्ड रूम	1	200
3.	डायनिंग हॉल - बोर्ड रूम	1	500
4.	प्रतीक्षा कक्ष - बोर्ड रूम	1	300
5.	ऑडिटोरियम	1	5000
6.	स्वागत कक्ष	1	2000
7.	टेलीफोन एक्सटेंशन रूम	1	200
8.	सहकारी समिति का कार्यालय	1	250
9.	महिला कॉमन रूम	1	300
10.	पुरुष कॉमन रूम	1	300
11.	खेल/मनोरंजन कक्ष	1	1000
12.	डॉक्टर का कमरा	1	150
13.	रोगी प्रतीक्षा रूम	1	100
14.	ऑफिसर्स एसोसिएशन	1	250
15.	कर्मचारी यूनियन	1	250
16.	ड्राइवर रूम	1	200
17.	सुरक्षा कार्मिक कक्ष	1	200
18.	कैंटीन	1	3000
19.	भोजनालय	1	2000
20.	वीआईपी कैंटीन	1	500
21.	लेखनसामग्री कक्ष	1	1000
22.	स्ट्रांग रूम	1	200
23.	डायरी/डिस्पैच रूम	1	300
24.	लायब्रेरी	1	1000
25.	सर्वर रूम/सर्वर	1	200
26.	अनुरक्षण कक्ष	1	500
27.	सम्मेलन कक्ष	1	1000
28.	सम्मेलन कक्ष का डायनिंग रूम	1	700
29.	सम्मेलन कक्ष-प्रतीक्षा/स्वागत कक्ष	1	400
			<b>23000</b>
	<b>प्रत्येक मंजिल पर अपेक्षित स्थानः</b>		
30.	फोटोकॉपियर एवं प्रलेखन केंद्र	प्रत्येक मंजिल में 1	150
31.	बैठक क्षेत्र	-वही-	600
32.	आगंतुक क्षेत्र	-वही-	200
33.	आईटी रूम	-वही-	300
34.	भंडार कक्ष	-वही-	200
35.	अभिलेख कक्ष	प्रत्येक मंजिल में 2	500
	<b>प्रत्येक मंजिल पर अपेक्षित स्थान</b>		<b>2450</b>
36.	एएचयू	प्रत्येक मंजिल में 1	आवश्यकता के अनुसार
	<b>पार्किंग</b>		
37.	दो स्तरों की बेसमेंट पार्किंग		प्रत्येक के लिए 1.0 लाख वर्ग फीट

38.	अन्य संबंधित और अद्यतन अपेक्षित विशेषताएं		
-----	---	--	--

टिप्पणी

- उपर्युक्त सभी विवरण/अपेक्षाएं अनुमानित हैं। इन विवरणों/अपेक्षाओं को वास्तुविद द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।
- आरईसी पूरा एफएआर निर्मित करना चाहता है और अतिरिक्त स्थान को किराये/पट्टे पर देने की योजना है।

बोली बैंक गारंटी (बयाना राशि)

गारंटी का यह विलेख, आज दिनांक ..... को ..... (बैंक का नाम) निष्पादित किया जा रहा है। इस बैंक की एक शाखा ..... में स्थित है जो इसके प्रबंधक (जिसे इसमें इसके बाद 'बैंक' कहा जाएगा) के माध्यम से कार्य कर रही है, इस अभिव्यक्ति में जहां प्रसंग में अपेक्षित हो, इसका उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती भी शामिल हैं। यह विलेख रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम) के पक्ष में निष्पादित किया जा रहा है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत है और जिसका कार्यालय ..... (जिसे इसमें इसके बाद 'आरईसी' कहा जाएगा) में स्थित है। इस अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी शामिल होंगे।

चूंकि आरईसी ने टेंडर नोटिस संख्या ..... दिनांक ..... के जरिए टेंडर आमंत्रित किए हैं, जिन्हें दिनांक ..... को खोला जाएगा और चूंकि मैसर्स ..... (टेंडरदाता का नाम) जिसका कार्यालय ..... में स्थित है (जिसे इसमें इसके बाद 'टेंडरर' कहा जाएगा) और जिसने उपर्युक्त टेंडर नोटिस के उत्तर में टेंडर में दिए गए अनुसार ..... आपूर्ति करने/ कार्य करने का प्रस्ताव दिया है।

और चूंकि टेंडरर को उपर्युक्त टेंडर में भाग लेने के लिए अग्रिम धन के रूप में रुपए ..... (केवल ..... रुपए) की राशि की बैंक गारंटी आरईसी को प्रस्तुत करनी है।

और चूंकि हम ..... (बैंक का नाम) से टेंडरर ने इस करार को करने का अनुरोध किया है, इसलिए हम इसे इसमें इसके बाद दिए गए अनुसार आरईसी को प्रस्तुत कर रहे हैं।

अब, इसलिए हम अधोहस्ताक्षरी प्रतिज्ञा पर विचार करते हुए, एतद्वारा यह प्रतिज्ञा करते हैं कि उपर्युक्त टेंडर, टेंडर में उल्लिखित या आरईसी द्वारा बढ़ाई गई विधिमान्य अवधि के दौरान आरईसी द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए खुला रहेगा और टेंडरर बाद में यह करार कर सकता है और यदि किसी कारण से टेंडरर इसकी विधिमान्य अवधि या उपर्युक्त अवधि को बढ़ाए जाने की अवधि के दौरान अपना नाम वापस लेता है, भले ही यह स्पष्ट रूप से हो या निहित रूप से या उपर्युक्त टेंडर की शर्तों के अनुसार कार्य-निष्पादन करने के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत न कर सके, तो हम एतद्वारा वचन देते हैं कि हम आरईसी, नई दिल्ली को मांग करने पर तत्काल बिना विलंब के रुपए ..... (केवल ..... रुपए) अदा करेंगे।

हम यह भी करार करते हैं कः-

01. आरईसी इस गारंटी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त टेंडर की विधिमान्य अवधि को बढ़ा सकता है या कोई अन्य अनुग्रह प्रदान कर सकता है या उक्त टेंडर में दी गई शर्तों

के बारे में टेंडरर के साथ और मोलभाव कर सकता है या आरईसी और टेंडरर की परस्पर सहमति से इन शर्तों को आशोधित कर सकता है या इनमें कोई और शर्त जोड़ सकता है और उक्त बैंक कोई कार्रवाई करके इन दस्तावेजों के अधीन अपने दायत्वों से मुक्त नहीं होगा और आरईसी को उपर्युक्त मामले के संदर्भ में यह स्वतंत्रता होगी या टेंडर में दिए गए समय के कारण या किसी अन्य परिहार्य कारणों, कार्य या आरईसी की किसी चूक के कारण या उक्त टेंडरर से आरईसी के किसी अनुरोध के कारण या किसी अन्य मामले में या किसी भी अन्य बात से मुक्त नहीं होगा।

02. इस गारंटी की अवधि के दौरान बैंक किसी भी समय सभी अधिकारों से छूट दे सकता है या उसके संबंध में बैंक के दायत्वों पर अन्यथा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा या ऐसे किसी विवाद के कारण निलंबित नहीं होगा जो टेंडरर द्वारा (भले ही वह मध्यस्थ, न्यायाधिकरण या न्यायालय के समक्ष लंबित हो या नहीं) या टेंडरर द्वारा अपने दायित्वों से इनकार करने, दायित्वों को रोकने या उनका निवारण करने या रोकने के इरादे से या निवारण के कारण बैंक द्वारा आरईसी को इस संबंध में की जाने वाली अदायगी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
03. हम उपर्युक्त बैंक अंत में यह वचन देते हैं कि हम आरईसी की लिखित पूर्व-सहमति के सिवाय, इस गारंटी के जारी रहने की अवधि के दौरान इसे निरस्त नहीं करेंगे और इस बात के लिए सहमत हैं कि टेंडरर के गठन में परिवर्तन कार्य बंद किए जाने, विलय हो जाने या दिवालिया हो जाने पर उक्त बैंक अपने दायित्वों के निर्वहन से मुक्त नहीं होगा।

ऊपर दी गई बातों के बावजूद, इस गारंटी के संबंध में बैंक का दायित्व रुपए ..... (केवल ..... रुपए) तक ही सीमित होगा और यह गारंटी दिनांक ..... तक लागू रहेगी बशर्ते कि इस गारंटी के अधीन कोई दावा इस तारीख से तीस (30) दिन के अंदर या बढ़ाई गई अवधि के अंदर, जैसा भी मामला हो, दाखिल किया जाता है अर्थात् दिनांक..... से इस गारंटी के अधीन सभी दायित्व व्यपगत हो जाएंगे और बैंक इस प्रकार अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएगा।

इसके साक्ष्य के रूप में बैंक अपना नाम यहां अंकित कर रहा है और उसके नीचे अपनी मुहर लगा रहा है।

कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी

मैसर्स रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,  
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, लोधी रोड,  
नई दिल्ली - 110003 (भारत)

(उपयुक्त स्टॉप ड्यूटी सहित, यदि लागू हो)

हमारी गारंटी का पत्र संख्या:

इस बात के फलस्वरूप कि रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका कार्यालय ..... में स्थित है (जिसे इसमें इसके बाद आरईसी कहा जाएगा, अभिव्यक्ति में जब तक विषय वस्तु या अर्थ की दृष्टि से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसके सभी उत्तराधिकारी, प्रशासक और निष्पादक शामिल होंगे) और जिसके साथ दिनांक ..... के करार/खरीद आदेश संख्या ..... दिनांक ..... के जरिए मैसर्स ..... ने करार किया है (जिसे इसमें इसके बाद इस आपूर्तिकर्ता' कहा जाएगा, अभिव्यक्ति में जब तक विषय वस्तु या अर्थ की दृष्टि से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसके सभी उत्तराधिकारी, प्रशासक और निष्पादक शामिल होंगे)।

चूंकि आपूर्तिकर्ता ने दिनांक ..... के करार/खरीद आदेश संख्या ..... दिनांक ..... में दी गई शर्तों के अनुसार सामग्री की आपूर्ति करना बिना किसी शर्त के स्वीकार किया है और इस बात में सहमति व्यक्त की है कि आपूर्तिकर्ता निष्पादित संविदा के कार्य-निष्पादन को निष्ठापूर्वक करने के लिए कार्य-निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करेगा जो खरीद आदेश के मूल्य के 10औं (दस प्रतिशत) (या अलग-अलग मामलों के अनुसार प्रतिशतता) तक के लिए होगी, अर्थात ..... रुपए तक।

हम, ..... (बैंक का नाम) जिसमें हमारे उत्तराधिकारी, प्रशासक और निष्पादक शामिल हैं, इसके साथ निरस्त न किए जाने वाला गारंटी पत्र सं. .... आपके पक्ष में ..... (आपूर्तिकर्ता) निष्पादित करते हैं। यह गारंटी करार/खरीद आदेश की शर्तों के अनुसार कार्य-निष्पादन गारंटी के रूप में होगी।

हम, एतद्द्वारा यह वचन देते हैं कि हम आपकी ऐसी घोषणा के साथ आपकी पहली लिखित मांग प्राप्त होने पर, रुपए ..... (केवल ..... रुपए) की अदायगी करेंगे जिसमें यह कहा गया हो कि इस रकम का दावा आपूर्तिकर्ता द्वारा करार का निष्पादन न किए जा सकने के कारण या उपर्युक्त आपूर्तिकर्ता की ओर से करार का उल्लंघन किए जाने के कारण किया जा रहा है।

यह गारंटी पत्र दिनांक ..... को समाप्त हो जाएगा जिसमें दावे की अवधि के 30 दिन भी शामिल हैं और इस प्रावधान के अधीन किया जाने वाला कोई भी दावा हमें अंतिम

तारीख से पहले प्राप्त हो जाना चाहिए। उसके पश्चात यह गारंटी पत्र निप्रभावी हो जाएगा, भले ही यह हमें वापस किया जाए या नहीं।

-----  
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
मुख्य प्रबंधक/प्रबंधक  
बैंक की मुहर

## अंतरण पत्र

प्रेषक:

-----  
-----

सेवा में,

उप महाप्रबंधक (संपदा),  
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड  
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स,  
7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

विषय: गुड़गांव (हरियाणा) स्थित आरईसी वर्ल्ड मुख्यालय के निर्माण और विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी कार्य के लिए बोली प्रस्तुत करना।

महोदय,

उपर्युक्त कार्य के बोली दस्तावेज में दिए गए विवरण की जांच करने के बाद मैंने/हमने ऑन-लाइन तकनीकी और वाणिज्यिक 'बोली' प्रस्तुत की है।

1. मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि ऑन-लाइन दिए गए सभी विवरण और सूचना सत्य और सही है।
2. मैं/हम बोली दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों के संबंध में एतद्द्वारा सहमति देता हूं/देते हैं।
3. मैं/हम एतद्द्वारा बोली दस्तावेज के अनुसार अपेक्षित ' बयाना राशि' प्रस्तुत कर रहा हूं/कर रहे हैं।
4. मैंने/हमने परियोजना परामर्शी बोली के लिए सभी आवश्यक सूचना और विवरण प्रस्तुत कर दिए हैं और इसके अलावा मेरे/हमारे पास और कोई महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए नहीं है।
5. मैं/हम आरईसी लिमिटेड या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को प्राधिकृत करता हूं/करते हैं कि वे हमसे व्यक्तिगत रूप से, हमारे कर्मचारियों से, फर्म से बैंक और हमारे आरएफसी से हमारी क्षमता/विश्वसनीयता आदि के सत्यापन करने के लिए संपर्क कर सकते हैं

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम और  
परामर्शी एजेंसी/संगठन का पूरा पता  
(कृपया मुहर लगाएं)

वचनपत्र

मैंने/हमने परियोजना प्रबंधन परामर्शी संबंधी बोली दस्तावेज, बोली की शर्तों, कार्य के क्षेत्र, करार की सामान्य शर्तों, बोली प्रस्तुतीकरण, मूल्यांकन का मापदंड और बोली दस्तावेज के साथ संलग्न सभी अन्य कागज-पत्रों को पढ़ लिया है और उसकी जांच कर ली है और दी गई दरों, जो मेरी/हमारी बोली में दी गई हैं, के संबंध में पूरी जानकारी हासिल कर ली है और मैं/हम यह भी घोषित करता हूँ/करते हैं कि विधिवत भरे गए दो बोली प्रस्तावों में दिए गए विवरण और सूचना का प्रत्येक विवरण सत्य और सही है।

मैं/हम तकनीकी बोली खोले जाने की तारीख से एक सौ अस्सी (180) दिन तक बोली खुली रखने के लिए सहमत हूँ/हैं और मैं/हम कोट की गई दरों आदि की शर्तों में कोई आशोधन नहीं करूंगा/करेंगे।

बयाना राशि के रूप में रुपए ..... की धनराशि मांग ड्राफ्ट/अदायगी आदेश/बैंक गारंटी संख्या ..... के रूप में भेजी जा रही है जो ..... (बैंक का नाम और शाखा) में आहरित है। यदि मैं/हम विनिर्दिष्ट कार्य को शुरू नहीं कर पाऊंगा/पाएंगे तो मैं/हम इस बात के लिए सहमत हूँ/हैं कि रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन, किसी अन्य अधिकार/उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह उपर्युक्त बयाना राशि को पूर्णतः जब्त कर सकता है, अन्यथा उपर्युक्त अग्रिम धन को वह प्रतिभूति जमा के रूप में रख सकेगा ताकि इस बोली दस्तावेज में या उसमें संदर्भित शर्तों के आधार पर बोली दस्तावेज में उल्लिखित सभी कार्यों को निष्पादित किया जा सके।

मैं/हम एतद्वारा घोषित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम बोली दस्तावेजों, आरेखों और इस कार्य से संबंधित अन्य रिकार्ड को गुप्त/गोपनीय दस्तावेज के रूप में समझूंगा/समझेंगे और इन दस्तावेजों से प्राप्त सूचना उन व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों को संसूचित नहीं करूंगा/करेंगे जिनके संबंध में मुझे/हमें यह प्राधिकृत किया गया है और जिस सूचना से आरईसी की सुरक्षा पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव होता है।

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम और परामर्शी एजेंसी/संगठन का पूरा पता)  
(कृपया मुहर लगाएं)

तारीख

गवाह के हस्ताक्षर: -----

नाम -----

पता -----

अनुबंध-6

पिछले चार वर्षों के दौरान पूरी की गई इसी प्रकार की परियोजनाओं का विवरण

पूरी की गई परियोजना की लागत (करोड़ रुपए में)	80 करोड़ रुपए या उससे अधिक अथवा 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक
परियोजना का नाम और स्थान	
ग्राहक का नाम	
कार्य का विवरण	
कार्य पूरा होने की अवधि (महीनों में)	
कार्य आरंभ करने की तारीख	
कार्य पूरा करने की तारीख	

पूरी की गई परियोजना की लागत (करोड़ रुपए में)	50 करोड़ रुपए या उससे अधिक
परियोजना का नाम और स्थान	
ग्राहक का नाम	
कार्य का विवरण	
कार्य पूरा होने की अवधि (महीनों में)	
कार्य आरंभ करने की तारीख	
कार्य पूरा करने की तारीख	

\* कृपया प्रत्येक अर्हक योजना के संबंध में ग्राहक द्वारा जारी किया गया कार्य समापन प्रमाण-पत्र संलग्न करें। बिना कार्य समापन प्रमाण-पत्र/कार्य-निष्पादन प्रमाण-पत्र वाली योजना पर मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम और परामर्शी एजेंसी/संगठन का पूरा पता)  
(कृपया मुहर लगाएं)

अनुबंध-7

पिछले चार वर्ष के दौरान परामर्शी कारोबार

क्रम सं.	वित्त वर्ष	कारोबार
1.	2006-07	
2.	2007-08	
3.	2008-09	
4.	2009-10	
5.	2010-11 (दिसंबर 2010 तक)	

टिप्पणी

1. कंपनी/संगठन जो केवल पीएमसी सेवाएं प्रदान नहीं कर रही हों, वे सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित परामर्शी सेवाओं के कारोबार का विवरण प्रस्तुत करें बशर्ते कि वह उनके लाभ एवं हानि लेखे में नहीं दर्शाया गया हो।
2. कृपया पिछले चार साल के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र/लाभ एवं हानि लेखे की प्रतियां संलग्न करें।

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम और  
परामर्शी एजेंसी/संगठन का पूरा पता)  
(कृपया मुहर लगाएं)

अनुबंध-8

गुडगांव में स्थित आरईसी वर्ल्ड मुख्यालय भवन का कार्य-निष्पादन करने के लिए कार्यस्थल पर तैनात किए जाने वाले मुख्य तकनीकी कार्मिकों की संख्या

क्रम सं.	जनशक्ति	आरईसी वर्ल्ड मुख्यालय भवन का कार्य-निष्पादन करने के लिए कार्यस्थल पर तैनात किए जाने वाले मुख्य तकनीकी कार्मिकों की संख्या (केवल नियमित कर्मचारी)			
		स्नातक इंजीनियर		डिप्लोमा इंजीनियर	
		संख्या	अनुभव (वर्षों में)	संख्या	अनुभव (वर्षों में)
1.	टीम लीडर	एक		-	
2.	योजना इंजीनियर				
3	निर्माण कार्य संबंधी इंजीनियर क) सिविल इंजीनियर ख) विद्युत इंजीनियर ग) यांत्रिक इंजीनियर				
4.	गुणवत्ता नियंत्रण/आश्वासन				
5.	अन्य				
	<b>जोड़</b>				

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम और परामर्शी एजेंसी/संगठन का पूरा पता)  
(कृपया मुहर लगाएं)

### अनुबंध-9

#### संगठन के पास उपलब्ध कार्मिकों का विवरण

क्रम सं.	विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ कार्मिकों की	संगठन के पास उपलब्ध कार्मिकों की
----------	--	----------------------------------

	संख्या	संख्या
1.	वास्तुविद	
2.	डिजाइन कार्यालय	
3.	योजना इंजीनियर	
4.	टेंडर विशेषज्ञ	
5.	निर्माण स्थल	
6.	गुणवत्ता नियंत्रण/आश्वासन	
7	वित्त/लेखा	
	जोड़	

### टिप्पणी

- स्नातक इंजीनियर और डिप्लोमाधारक इंजीनियरों की संख्या अलग-अलग दी जानी चाहिए।

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम और परामर्शी एजेंसी/संगठन का पूरा पता)  
(कृपया मुहर लगाएं)

वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने का फार्म

प्रेषक:

दनांक:

सेवा में:

उप-महाप्रबंधक (संपदा),  
रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड,  
कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7-लोधी रोड,  
नई दिल्ली-110003

विषय: गुड़गांव (हरियाणा) में स्थित आरईसी वर्ल्ड मुख्यालय के निर्माण और विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं प्रदान करना

महोदय,

उपर्युक्त कार्य के बोली दस्तावेज के उत्तर में हम निम्नलिखित परामर्शी प्रभारों का उल्लेख कर रहे हैं:

विवरण	यूनिट	वास्तुविद संबंधी सेवा के बिना परामर्शी शुल्क (जिसमें सभी शुल्क शामिल हैं) लेकिन सेवा कर शामिल नहीं है	
		अंकों में	शब्दों में
आई-4, सिटी सेंटर, सेक्टर-29, गुड़गांव में आरईसी वर्ल्ड मुख्यालय के निर्माण और विकास संबंधी कार्य के क्षेत्र के अनुसार परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए वास्तुविद संबंधी सेवा के बिना परामर्शी शुल्क, जिसमें सभी शुल्क शामिल हैं, लेकिन सेवा कर शामिल नहीं है	अवार्ड की गई परियोजना की कुल लागत की प्रतिशतता (औ)		

(विशेष टिप्पणी दरों का उल्लेख अवार्ड की गई परियोजना की कुल लागत की प्रतिशतता (औ) में किया जाना चाहिए। कोई अन्य यूनिट स्वीकार्य नहीं होगी।

*महत्वपूर्ण कृपया नोट करें कि परामर्शी प्रभार केवल अवार्ड की गई परियोजना की कुल लागत की कोट की गई प्रतिशतता (जो सफल बोलीदाता द्वारा कोट की गई हो) तक सीमित होगी और लागत में बढ़ोतरी होने या किसी कारण से लागत बढ़ जाने के परिणामतः कोई अतिरिक्त शुल्क अदा नहीं किया जाएगा।*

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम और परामर्शी एजेंसी/संगठन का पूरा पता)  
(कृपया मुहर लगाएं)